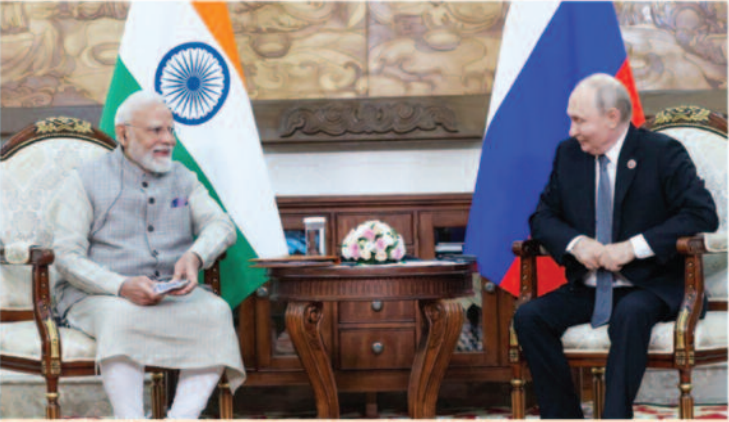


किर्गिस्तान में पुतिन-मोदी की मुलाकात, दोनों लीडर गले मिले: पीएम मोदी ने ब्रिक्स के लिए न्योता दिया हमें युद्धों से हटकर आगे बढ़ना चाहिए : पीएम मोदी

बिएकेक,31 अगस्त 2026। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को किर्गिस्तान के बिश्केक में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन से मुलाकात की। इस दौरान दोनों लीडर एक-दूसरे के गले मिले। दोनों के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई। इस दौरान,मोदी ने पुतिन से कहा कि हम कभी न खत्म होने वाले युद्धों से हटकर,उन्हें खत्म करने की ओर बढ़ना चाहिए। भारत शांति की दिशा में सभी प्रयासों का समर्थन करता है। पीएम ने पुतिन को सितंबर में होने वाले ब्रिक्स समिट में शामिल होने का न्योता दिया। इससे पहले मोदी ने ईरान,किर्गिस्तान और अर्मेनिया के राष्ट्राध्यक्षों से द्विपक्षीय मुलाकात की। मोदी ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजशकियान से भी मिले। बिश्केक में चल रही एससीओ समिट की थीम 'शांति,विकास और समृद्धि के लिए मिलकर आगे बढ़ना' है।

मोदी ने पुतिन को ब्रिक्स समिट में शामिल होने का न्योता दिया...

पीएम मोदी ने भारत में अगले महीने होने वाली ब्रिक्स समिट के लिए रूस के राष्ट्रपति पुतिन को न्योता दिया। मोदी ने कहा...‘भारत कुछ दिनों बाद ब्रिक्स समिट का आयोजन कर रहा है। सभी सभी भारतीय आपका और आपके प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करने के लिए बहुत उत्सुक हैं।’



पुतिन बोले...रूस में पढ़ने वाले भारतीय छात्रों की संख्या 7 गुना बढ़ी

राष्ट्रपति पुतिन की बातों को ट्रांसलेट किया जा रहा है। ट्रांसलेटर ने कहा...‘रूस में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या के मामले में भारत टॉप लिस्ट में शामिल है। पिछले कुछ सालों में यह संख्या 7 गुना बढ़कर 40,000 हो गई है। हम नियमित रूप से भारत और रूस के सांस्कृतिक उत्सव आयोजित करते हैं। हमारे बीच पर्यटकों का आना-जाना भी काफी होता है,जिसमें 16% की वृद्धि देखी गई है। हम संयुक्त राष्ट्र,ब्रिक्स,जी20 और एससीओ में अपने प्रयासों में करीबी तालमेल रखते हैं। आज हमारे पास रूस-भारत संबंधों के विकास के बारे में विचारों का आदान-प्रदान करने और भविष्य के सहयोग की रूपरेखा तैयार करने का अच्छा मौका है।’

मोदी बोले...दोनों देश लोगों की भलाई के लिए काम कर रहे : मोदी ने कहा...‘पिछले साल आपकी भारत यात्रा बहुत सफल और सचमुच यादगार रही। हमारे लिए

यह बहुत संतोष की बात है कि हमारा सहयोग नई ऊंचाइयां छू रहा है और हम दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय हित को सबसे ऊपर रखना

उज्बेकिस्तान में मोदी ने छात्रों से बात की...स्टूडेंट्स ने पीएम की कविताओं को हिंदी में सुनाया

पीएम मोदी बोले...भावनाएं बिल्कुल मेरे दिल जैसी थीं



ताशकंद,31 अगस्त 2026। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्बेकिस्तान के दो दिवसीय दौरे में ताशकंद के महात्मा गांधी सेंटर का दौरा किया। यहाँ उज्बेक छात्रों ने हिंदी में मोदी की लिखी कविताएं सुनाईं। अपनी कविताएं छात्रों से सुनकर मोदी भावुक हो गए। उन्होंने कहा... कि हिंदी छात्रों की मातृभाषा नहीं है,फिर भी उन्होंने कविताओं की भावनाओं को बिल्कुल वैसे ही समझकर पेश किया,जैसी भावनाएं उनके दिल में थीं। मोदी ने उज्बेकिस्तान में भारत,महात्मा गांधी और तमिल संस्कृति में बढ़ती रुचि का भी जिक्र किया। उन्होंने तिरुक्कुरल का उज्बेक भाषा में अनुवाद करने का सुझाव दिया। मोदी की यात्रा के दौरान भारत और उज्बेकिस्तान के रिश्ते कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटैजिक पार्टनरशिप तक पहुंचे। दोनों देशों के बीच 11 समझौतों,एमओयू और सहमतियों का आदान-प्रदान भी हुआ। कार्यक्रम में

भारत और भारतीय संस्कृति का अध्ययन करने वाले एक उज्बेक इंजेलॉजिस्ट ने कहा कि शायद दुनिया में बहुत कम ऐसे देश होंगे,जहां लोगों में भारत को लेकर इतना प्यार है। उन्होंने बताया कि यहां लगभग हर नागरिक नमस्ते शब्द से परिचित है। भारतीय कला,नृत्य,संगीत,दर्शन और योग में भी लोगों की दिलचस्पी बढ़ रही है। पीएम मोदी ने तमिल साहित्य की प्रसिद्ध रचना 'तिरुक्कुरल' का भी जिक्र किया। उन्होंने संस्थान की 80वीं वर्षगांठ का उल्लेख करते हुए सुझाव दिया कि इसका उज्बेक भाषा में अनुवाद किया जाना चाहिए। मोदी ने कहा... कि तिरुक्कुरल के उज्बेक अनुवाद से वहां के लोगों को भारतीय दर्शन और विचारों को समझने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि प्राचीन भाषाओं में मौजूद दार्शनिक विचार बताते हैं कि सभ्यता के शुरुआती दौर से ही इंसान की सोच काफी गहरी रही है।

दिल्ली दंगों के 12 आरोपी हुए बरी कोर्ट ने कहा...केवल मीड में शामिल होना दोष साबित नहीं करता...

नई दिल्ली,31 अगस्त 2026। दिल्ली की एंड्रेशनल सेशंस कोर्ट ने 2020 दिल्ली दंगा मामले में 12 आरोपियों को बरी कर दिया है। इन पर हत्या,दंगा भड़काने और डकैती के आरोप थे। कोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति के खिलाफ सिर्फ इसलिए अपराधिक जिम्मे दारी तय नहीं की जा सकती, क्योंकि वह भीड़ का हिस्सा था। अदालत ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ निजी अपराध का सबूत जरूरी है। मामले की सुनवाई एंड्रेशनल सेशंस जज प्रवीण सिंह कर रहे थे। मामले में लोकेश सोलंकी,पंकज शर्मा,अंकित चौधरी,प्रिंस,जतिन शर्मा,हिमांशु ठाकुर, विवेक पांचाल,ऋषभ चौधरी,सुमित चौधरी,टिंकू अरोड़ा,संदीप और साहिल आरोपी थे। कोर्ट ने कहा...‘सिर्फ भीड़ के साथ दिखने से यह नहीं माना जा सकता कि आरोपी घर में तोड़फोड़,लूट और आगजनी करने वाली भीड़ का हिस्सा बने रहे।अदालत ने मामले में पुलिस के गवाह का बयान भी खारिज कर दिया। सभी 12 आरोपी मुरसलीन की हत्या से जुड़े मामले में आरोपी थे। दरअसल,दंगों के बाद मुरसलीन नाम के व्यक्ति का शव 28 फरवरी 2020 को जौहरीपुर तिहाड़े के पास एक नाले में मिला था। मामले में मुख्य गवाह दिवेश राजपूत को मुरसलीन की हत्या का चरमदीद बताया गया था। लेकिन सुनवाई के दौरान वह अपने बयान से मुकर गया।

दिल्ली में बस में 16 साल की छात्रा से गैंगरेप वोट नोएडा से बैठाया,बस 47 किमी दौड़ती रही शीशे पर पर्दे लगे थे,झड़प-कंडक्टर अरेस्ट

नई दिल्ली,31 अगस्त 2026। दिल्ली में 16 साल की छात्रा से चलती स्लीपर बस में गैंगरेप का मामला सामने आया है। घटना 4 अगस्त की है,पुलिस ने 31 अगस्त को इसकी जानकारी दी। पुलिस के मुताबिक पोंडित ग्रेटर नोएडा के परी चौक पर बस में बैठी। आरोपियों ने उसे कश्मीरी गेट पर छोड़ा। इस दौरान बस करीब 47 किमी दौड़ती रही। बस के शीशों पर पर्दे लगे थे। पुलिस ने बस झाड़कर कुलदीप और कंडक्टर संदीप को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की गिरफ्तारी कब हुई,इसकी जानकारी सामने नहीं आई है। पोंडित उत्तर प्रदेश के मैन्पुरी जिले की रहने वाली है और 11वीं की छात्रा है। पुलिस के मुताबिक,पोंडित यूपी के मैन्पुरी की रहने वाली है। परिवार में झगड़ा होने पर बिना बताए नोएडा में कजिन के घर के लिए बस से निकली। मैन्पुरी से नोएडा की दूरी 300 किमी से ज्यादा है। भारी बारिश और अंधेरे के कारण छात्रा गलती से परी चौक पर उतर गई थी। फिर यहां से नोएडा जाने के लिए वाहन का इंतजार करने लगी। इसी बीच वहां से एक खाली स्लीपर बस गुजरी। छात्रा ने बस को रकने का इशारा किया। झाड़पर और कंडक्टर ने छात्रा को बस में बैठा लिया। उन्होंने बताया कि बस नोएडा सेक्टर-63 जा रही है। पुलिस के मुताबिक,बस चलने के कुछ समय बाद कंडक्टर ने छात्रा के साथ अश्लील हरकत करने की कोशिश की। छात्रा ने पुलिस को बताया कि झाड़पर और कंडक्टर ने उसके साथ रेप किया।

सोनिया गांधी की किताब नहीं छपेगा पेंगुइन इंडिया

कहा...फैसला किसी प्रेशर की वजह से नहीं लिया,राइटर्स की टीम से सहमति नहीं बनी

नई दिल्ली,31 अगस्त 2026। पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया ने सोनिया गांधी की किताब ‘बिलॉन्गिंग: ए जर्नी ऑफ लव’ प्रकाशित नहीं करने केके फैसले पर फिर सफाई दी है। पब्लिशर ने कहा कि इस फैसले के पीछे कोई बाहरी दबाव नहीं था,बल्कि पर चर्चा के दौरान एक खाम मुद्दे पर सहमति नहीं बन सकी। हालांकि पेंगुइन ने उस मुद्दे के बारे में कोई जानकारी नहीं दी। पब्लिशर ने इसके लिए समझौते और लेखक की गोपनीयता का हवाला दिया है। यह सफाई कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के संस्मरण के भारत में प्रकाशन को लेकर चल रहे विवाद के बीच आई है। प्रकाशन इससे पहले भी सफाई दे चुका है। पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया की प्रवक्ता पल्लवी नारायण ने पीटीआई से कहा,किताब की सामग्री गोपनीय है और अभी सार्वजनिक नहीं की गई है। इसलिए इस मामले में किसी भी तरह का बाहरी दबाव नहीं था। उन्होंने कहा, ‘पांडुलिपि सामान्य संपादकीय प्रक्रिया से गुजरी थी। इस दौरान कई मुद्दे उठाए गए और सोनिया गांधी के प्रतिनिधियों के साथ उन पर चर्चा की गई।’



प्रयागराज एयरफोर्स स्टेशन के पास पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट... 11 की मौत,इनमें 8 बच्चे,तड़पते घायलों को चारपाई पर लेकर भागे लोग

प्रयागराज,31 अगस्त 2026। यूपी में सोमवार को प्रयागराज और कौशांबी बॉर्डर पर एक पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हो गया। इस हादसे में 8 बच्चों समेत 11 लोगों की मौत हो गई,जबकि 5 ज़रूरत गए। पुलिस के मुताबिक,विस्फोट इतना भीषण था कि पूरी फैक्ट्री जमींदोज हो गई। 100 मीटर के दायरे में बने 8 मकान क्षतिग्रस्त हो गए। इनमें से 3 दह गए। हादसा दोपहर साढ़े 12 बजे कौशांबी जिले के मोहम्मदपुर गांव में हुआ। यह गांव प्रयागराज बॉर्डर पर है। यहां से मनीरी स्थित एयरफोर्स स्टेशन 2 किमी है। पुलिस,एयरफोर्स,एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के 200 जवान रेस्क्यू में जुटे हैं। 10 बुलडोजरों से मलबा हटया जा रहा है। पुलिस को शक है कि मलबे के नीचे कुछ लोग दबे हो सकते हैं। ऐसे में मौत का आंकड़ा और बढ़ सकता है। हादसे के वक्त फैक्ट्री में 7 मजदूर काम कर रहे थे। इनमें से 3 की जान गई है। बाकी 8 मरने वाले आस-पास के घरों के हैं। धमाका



कैसे हुआ,पुलिस पता लगा रही है। हालांकि प्रयागराज में स्वरूप रानी अस्पताल पहुंची रानी ने बताया...बिजली का खंभा गिरने के बाद फैक्ट्री में रखे बारूद में तेज धमाका हुआ। धमाके की आवाज 2 किमी दूर तक सुनाई दी। कुछ ही देर में धुएं का गुबार चारों तरफ छा गया। ग्रामीण झुलसे लोगों को चारपाई पर ले जाते दिखे। विस्फोट की भयावहता का

अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि मकान की तीसरी मंजिल में 8 फीट का छेद हो गया। एक मंजिला अवैध फैक्ट्री 600 वर्गफीट में बनी थी। मालिक का बारूद में तेज धमाका हुआ। धमाके की आवाज 2 किमी दूर तक सुनाई दी। आदिल,पिता नौशाद,चाचा शकील और तीन महिलाओं पर केस दर्ज किया है। गिरफ्तारी के लिए 4 टीमें बनी हैं।

भारत में टाटा बनाएगा टैंक रोधी मिसाइल प्रणाली जैवलिन,अमेरिकी कंपनी से करार भारत में मजबूत डिफेंस वर्कफोर्स बनेगी,देश में अमेरिकी नौकरियों के मौके मिलेंगे

नई दिल्ली,31 अगस्त 2026। भारत ने अमेरिका से टैंक रोधी मिसाइल प्रणाली एफजीएम-148 जैवलिन खरीदने का समझौता किया है। भारत ने जैवलिन प्रणाली के लिए प्रस्ताव और स्वीकृति पत्र पर हस्ताक्षर भी कर दिए हैं। अब टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड और जैवलिन जॉइंट वेंचर (जेजेवी) ने भारत में इस प्रणाली के निर्माण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। यह करार भारतीय रक्षा उद्योग को खास मौके देगा और इंडो-पैसिफिक के लिए क्षेत्रीय स्थिरता को मजबूत करेगा। अमेरिकी राजदूतावास की प्रवक्ता डाना जिए ने 28 अगस्त को पुष्टि की थी कि भारत ने जैवलिन प्रणाली के लिए प्रस्ताव और स्वीकृति पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। इस समझौते पर हस्ताक्षर के साथ भारत जैवलिन प्रणाली का ग्राहक बन गया है,जो एक उन्नत,मध्यम दूरी की फायर-रैंड-फॉरगेट एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइल है। अब भारत में जैवलिन प्रणाली के निर्माण के लिए जैवलिन



जॉइंट वेंचर ने टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स को प्राइम पार्टनर के तौर पर चुना है। इस करार के तहत टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड और जेजेवी भारत में जैवलिन प्रणाली के लिए एक फाइनल असेंबली और एकीकरण सुविधा बनाने के बारे में पता लगाएंगे। टैंक रोधी मिसाइल प्रणाली एफजीएम-148 जैवलिन भारत और अमेरिकी पार्टनरशिप के लिए फायदेमंद होगी। इससे भारत में एक मजबूत डिफेंस वर्कफोर्स बनेगी। साथ ही

कई साल के प्रोडक्शन के जरिए घरेलू सप्लाई चेन में अमेरिकी नौकरियां बनी रहेंगी। देश में को-प्रोडक्शन शुरू होने से भारत का डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस मजबूत होगा। इससे जैवलिन की फाइनल असेंबली और इंटीग्रेशन भारतीय फैसिलिटी और सप्लायर तक पहुंचेगा, हार्ड-टेक नौकरियां पैदा होंगी,स्थानीय विनिर्माण विशेषज्ञता बढ़ेगी और दुनिया भर में बढ़ती डिमांड के कारण ग्लोबल सप्लाई चेन की मजबूती को सपोर्ट मिलेगा। भरोसेमंद जैवलिन वेपन सिस्टम की सप्लाई होने से इस इलाके के पार्टनर देशों को मदद मिलेगी। जैवलिन जॉइंट वेंचर के वाइस प्रेसिडेंट और प्रोग्राम डायरेक्टर रिच लॉसियन ने कहा कि यह साझेदारी जैवलिन जॉइंट वेंचर और भारतीय पार्टनर के बीच गहरे सांमरिक सहयोग को दिखाती है,जिससे अंतरसंचालनीयता और संयुक्त रक्षा पहल को मजबूती मिलेगी,जो इंडो-पैसिफिक पार्टनरशिप के बड़े लक्ष्यों के साथ मेल खाती है।

सिंधु जल संधि विवाद : भारत ने खारिज किया मध्यस्थता अदालत का फैसला कहा...संप्रभु फैसलों पर अधिकार नहीं

नई दिल्ली,31 अगस्त 2026। भारत ने सोमवार को विश्व बैंक द्वारा गठित सिंधु जल संधि से जुड़ी मध्यस्थता अदालत के फैसले को खारिज करते हुए उसे अवैध रूप से गठित निकाय बताया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि इस अदालत का भारत के संप्रभु फैसलों पर कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है और भारत द्वारा सिंधु जल संधि को स्थगित रखने का फैसला लागू रहेगा। वहीं,मध्यस्थता अदालत ने कहा है कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद संधि को स्थगित करने के

लिए भारत द्वारा दिए गए आधार पर्याप्त नहीं हैं और संधि अभी भी पूरी तरह लागू है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि विश्व बैंक ने संधि की शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन करते हुए इस तथाकथित मध्यस्थता अदालत का गठन किया है। भारत इस तथाकथित अदालत के फैसले को उसी तरह खारिज करता है, जिस तरह उसने पहले भी इस 'अवैध रूप से गठित' संस्था की सभी टिप्पणियों और फैसलों को खारिज किया है।

दिल्ली में 47 लाख नाम एसआईआर ड्रापट रोल से बाहर महाराष्ट्र के 2 करोड़ 7 लाख नाम छूटे,30 सितंबर तक आपति दर्ज कराने की तारीख

नई दिल्ली,31 अगस्त 2026। महाराष्ट्र और दिल्ली में एसआईआर के तहत 31 अगस्त को ड्राफ्ट वोटर रोल यानी प्रारूप मतदाता सूची जारी की गई। दिल्ली में कुल 1 करोड़ 45 लाख मतदाता हैं। इनमें से 47 लाख 56 हजार 722 मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट लिस्ट से बाहर हैं। वहीं,महाराष्ट्र में करीब 2 करोड़ 7 लाख मतदाताओं के नाम फिलहाल ड्राफ्ट रोल में नहीं हैं। डिजिटाइजेशन के लिए फॉर्म जमा न होने और अन्य तकनीकी कारणों से कई मतदाताओं के नाम फिलहाल इस सूची में शामिल नहीं हो पाए हैं। इनमें अनुपस्थित,स्थानांतरित,मृत, डुप्लिकेट,विदेशी और अन्य मामले शामिल हैं। जिन लोगों के नाम ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं हैं,वे 30 सितंबर 2026 तक दावा या आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। दावों और आपत्तियों का डिस्पोजल प्रोसेस 29 अक्टूबर 2026 तक पूरा किया



जाएगा। इसके बाद 4 नवंबर 2026 को अंतिम मतदाता सूची जारी होगी।

दिल्ली, महाराष्ट्र समेत 16 राज्यों में एसआईआर का तीसरा फेज : चुनाव आयोग ने 14 मई को हरियाणा, झारखंड, उत्तराखंड, दिल्ली और महाराष्ट्र समेत 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में स्पेशल इटोसिव रिवीजन

(एसआईआर) की घोषणा की थी। यह एसआईआर का तीसरा फेज है। पूरी प्रक्रिया 30 मई से 23 दिसंबर तक चलेगी। इस दौरान 36.73 करोड़ वोटरों का वेरिफिकेशन हो रहा है। जिन राज्यों में एसआईआर होगा,उनमें पंजाब, उत्तराखंड और मणिपुर में अगले साल विधानसभा चुनाव हैं। अन्य 13 राज्यों में 2028 और 2029 में चुनाव होंगे।

10 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में पूरा हुआ एसआईआर : एसआईआर के पहले और दूसरे फेज में 10 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश कवर हो चुके हैं। एसआईआर के बाद बिहार, परिषद बंगाल, पुडुचेरी और असम विधानसभा चुनाव में भाजपा जीती है। केरल में काँग्रेस गठबंधन और तमिलनाडु में टीवीके ने जीत हासिल की है। असम में स्पेशल रिवीजन हुआ। यहां भी भाजपा सरकार की वापसी हुई।

संपादकीय

सीख लेनी होगी नेपाल की बाढ़ से

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) राज्यों के साथ मिल कर हिमालय की ग्लेशियर झीलों में अलर्ी वार्निंग सिस्टम लगा रहा है। इसमें से उत्तराखंड रीजन में हम लोगों ने भी कुछ प्रोजेक्ट जमा किए हैं। जहां तक मेरी जानकारी है एशियाई देशों में कहीं भी ग्लेशियर टूटने को लेकर बहुत प्रभावी अलर्ी वार्निंग सिस्टम नहीं है। उसको सटीकता भी ज्यादा नहीं है। यह मुश्किल काम भी है। आप सुनामी का अनुमान लगा सकते हैं कि भूकंप आया है तो सुनामी आएगी। दूसरी बात हिमालय बहुत दुरुष् क्षेत्र हैं। यहां सभी जगह पहुंचना संभव नहीं है। हिमालय के अंदर 10,000 ग्लेशियर हैं। हिमालय अपने आप में खुद एक बहुत जटिल सिस्टम है,जिसे समझना बहुत मुश्किल है।

अब सवाल यह है कि हम अलर्ी वार्निंग सिस्टम कहां लगाएं। बहुत अच्छा उदाहरण उत्तराखंड में दिखता है कि केदारनाथ में बाढ़ आई। आपने केदारनाथ घाटी और आसपास के क्षेत्र में फोकस किया तो अचानक ऋषिगंगा में बाढ़ आ गई वो भी जाड़े के मौसम में। यह अप्रत्याशित था। इसके बाद धराली में घटना हो गई। इसके बाद तमक में। अलर्ी वार्निंग सिस्टम तब कारगर होता है जब आपको पता हो कि यहीं पर आएगा तो यहीं पर फिट कर दो।

यह भी सवाल है कि घाटी में लगाना कहां है क्योंकि एक घाटों में हजारों छोटे छोटे चैनल हैं जो सक्रिय हैं। आपको पता ही नहीं कि कहां टूटना है तो आप कैसे करोगे। सवाल यह नहीं है कि हमारा निगरानी तंत्र कितना कारगर है। सवाल यह है कि हम लोगों को जागरूक कैसे करें। लोगों को यह बताना होगा कि पर्वतीय क्षेत्र में आप कहां घर बनाएं। कहां इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार करें। नेपाल की बाढ़ यह सीख देती है कि आपको बस्तियां कहां बसानी है। आप नदी के किनारे ही कई मंजिल के घर बना रहे हैं। आपको हमेशा नदी के दूब क्षेत्र के बाहर घर बनाना चाहिए। यहां तक केदारनाथ त्रासदी की भी सबक दिया था कि आपको इन्फ्रास्ट्रक्चर कहां बनाना है। आपको यह याद रखना होगा कि आज नहीं तो कल बाढ़ का क्षेत्र अपनी पूरी जगह लेगा। अगर आप पहले के लोगों को देखें तो वे लोग हमेशा पहाड़ पर बहुत ऊंची जगह पर घर बनाते थे। नीचे नहीं बनाते थे। वे नदी के किनारे नहीं बैठे थे। अब नई सभ्यता में होम स्टे और तमाम चीजों के साथ बनी हैं और ये कहीं भी निर्माण कर रहे हैं। किसी भी राज्य की कोई आपदा नीति नहीं है कि इसमें तय किया गया हो कि आपको कहां घर बनाना है और कहां नहीं। तो लोग इसकी कीमत चुका रहे हैं और अगर सबक नहीं सीखा गया तो लोग आगे भी कीमत चुकाते रहेंगे।

चुनावों के समय ही अनुसूचित जाति जनजातियों वर्गों के साथ छलावा क्यों?

चुनावों के समय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्गों के साथ होने वाले छलावे या राजनीतिक लोकलुभावनवाद के पीछे मुख्य रूप से वोट बैंक की राजनीति,सामाजिक-आर्थिक निर्भरता और चुनावी रणनीतियाँ जिम्मेदार हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में यह एक जटिल मुद्दा है,जिसे निम्नलिखित प्रमुख कारणों से समझा जा सकता है :-

1. **बड़ा और निर्णायक वोट बैंक चुनावी गणित:** भारत की जनसंख्या में एससी और एसटी वर्ग का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। कई विधानसभा और लोकसभा सीटों पर इस वर्ग के मतदाता हार-जीत तय करने में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। समय-बद्ध सक्रियता : राजनीतिक दल पूरे पाँच साल इनके मुँहों पर मौन रह सकते हैं, लेकिन चुनाव आते ही सत्ता पाने या बचाने के लिए इस बड़े समूह को लुभाना उनकी मजबूरी बन जाता है।

2. **नीतिगत वादों और जमीनी हकीकत में अंतर घोषणा-पत्रों की राजनीति :** चुनावों के दौरान राजनीतिक दल मुफ्त योजनाओं,विशेष भत्तों, नौकरियों और विकास पैकेजों की झड़ी लगा देते हैं। क्रियाचव्यन का अभाव : चुनावी जीतने के बाद इन वादों को उठे बस्ते में डाल दिया जाता है। बजट का सही आवंटन न होना और प्रशासनिक ढीलपान इन वार्गों तक वास्तविक लाभ नहीं पहुँचने देता,जिस्से इन्हें छलावे का अहसास होता है।

3. **सामाजिक और आर्थिक निर्भरता कमजोर आर्थिक स्थिति :**

इस वर्ग का एक बड़ा हिस्सा आज भी गरीबी,भूमिहीनता और बुनियादी सुविधाओं (शिक्षा, स्वास्थ्य) के अभाव से जूझ रहा है।तात्कालिक लाभ का जाल : आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण ये वर्ग चुनावों के समय मिलने वाले तात्कालिक लाभों (जैसे मुफ्त राशन,नकद ट्रांसफर या अन्य उपहारों) के प्रति संवेदनशील होते हैं,जिसका राजनीतिक दल फायदा उठाते हैं।

4. **केवल प्रतीकात्मक राजनीति चेहरों का इस्तेमाल :** चुनाव आते ही राजनीतिक दल इस वर्ग के नेताओं को मंच पर आगे करते हैं, उनके घरों पर भोजन करने के कार्यक्रम आयोजित करते हैं या प्रतीकात्मक सम्मान देते हैं।वास्तविक सशक्तिकरण की कमी: इस प्रतीकात्मक सम्मान के पीछे वास्तविक मंशा नीतिगत सुधार या इस वर्ग को नीति-निर्माण के मुख्य पदों पर बैठाने की नहीं होती,बल्कि केवल उनके समुदाय का वोट हासिल करने की होती है।

5. **जागरूकता और संगठित आवाज की कमी शिक्षा का स्तर :** हालांकि शिक्षा और जागरूकता बढ़ रही है,लेकिन ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों (विशेषकर जनजातीय इलाकों) में आज भी राजनीतिक अधिकारों और सरकारी नीतियों के प्रति पूर्ण जागरूकता का अभाव है।विभाजन की राजनीति- राजनीतिक दल अक्सर इस वर्ग को भी उप-जातियों में बाँटकर आंतरिक रूप से कमजोर कर देते हैं, जिससे ये अपनी मांगों के लिए एक मजबूत और संगठित दबाव समूह नहीं बन पाते।

सुधार का मार्ग :
: इस स्थिति को बदलने के लिए सतत राजनीतिक चेतना,गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और आर्थिक आत्मनिर्भरता सबसे जरूरी है। जब यह वर्ग तात्कालिक चुनावी वादों के बजाय दीर्घकालिक विकास, रोजगार, और आत्मसम्मान को अपनी मुख्य मांग बनाएगा,तब राजनीतिक दलों के लिए केवल चुनावों के समय छलावा करना अवसरव्य हो जाएगा।

राजेन्द्र लहरे पाम्पाड़ छत्तीसगढ़.

शिक्षकों के लिए टेट अनिवार्यता: शिक्षा की गुणवत्ता, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय और सरकार की प्राथमिकता

वर्तमान समय में शिक्षकों के लिए टेट की अनिवार्यता का विषय केवल शिक्षकों की नौकरी या पदोन्नति तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सीधे-सीधे देश की शिक्षा व्यवस्था,बच्चों के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के अधिकार और भविष्य की पीढ़ी से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को कमजोर करने उसकी जगह के विचारों का प्रभावित करने की क्षमता रखता है। शिक्षा प्राप्त करने के बाद रोजगार,शिक्षा व्यवस्था और शासन की नीतियों पर सवाल उठाने वाला यह सरकार को समय-समय पर आईना दिखाता है। इसलिए शिक्षा और शिक्षक नीति का कोई भी निर्णय व्यापक सामाजिक एवं राजनीतिक प्रभाव डाल सकता है।ऐसे

समय में जब सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुरूप वर्तमान में कार्यरत शिक्षकों के लिए भी टेट उत्तीर्ण करना आवश्यक माना गया है,तो सरकार के सामने मूल प्रश्न यह होगा कि टेट की गुणवत्ता और विश्वसनीयता को कैसे बनाए रखा जाए।

यदि टेट जैसी राष्ट्रीय स्तर की पात्रता परीक्षा को कमजोर करने उसके अन्तर्गत केवल विभागीय टेट अथवा अत्यधिक सरलता विभागीय परीक्षा के माध्यम से पात्रता प्रदान करने का रास्ता अपनाया जाता है,तो इससे टेट की मूल भावना और परीक्षा की विश्वसनीयता पर प्रश्न उठ सकता है। किसी एक राज्य में ऐसा प्रयोग होने के बाद यदि दूसरे राज्य भी उसका अनुसरण करते हैं,तो इसका प्रभाव देश की शिक्षक पात्रता व्यवस्था और शिक्षा की गुणवत्ता पर पड़ सकता है।

यह विषय इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को भावना

त्यागपत्र आमतौर पर सेवा का अंत माना जाता है,लेकिन हर विदाई अंत नहीं होती। कुछ विदाइयां यह सवाल छोड़ जाती हैं कि असली सेवा आखिर होती

क्या है...कुर्सि पर बैठकर निर्णय लेना या उस कुर्सी से बाहर निकलकर उन लोगों के बीच जाना, जिनके सपनों के नाम पर व्यवस्था खड़ी की गई है। उत्तर प्रदेश

प्रो.आरके.जेन बड़वाना,मध्यप्रदेश

केडर की 2013 बैच की आईएएस अधिकारी दिव्या मि्तल का लगभग 13 साल की सेवा के बाद इस्तीफा इसी सवाल को सामने रखता है। उनका कहना...“अब जनता के सपनों को जीने का समय आ गया है”...सिर्फ नौकरी छोड़ने की घोषणा नहीं,बल्कि उस यात्रा का अगला पड़ाव है जिसमें पद साधन था और मनुष्य मंजिल।

दिव्या मि्तल की कहानी में चमक भी है और बेचैनी भी। आईआईटी दिल्ली और आईआईएम बैंगलोर से पढ़ाई,फिर लंदन में जेपी मॉर्गन जैसी प्रतिष्ठित संस्था की नौकरी-दुनिया की नजर में इससे बेहतर उपलब्धि क्या होती? मगर जीवन की कठिन कमी कभी-कभी उपलब्धियों से पूरी नहीं होती। विदेश में रहते हुए उन्हें अपने देश से दूर होने की टीस महसूस हुई। उन्होंने माना कि उनकी शिक्षा, आत्मविश्वास और दुनिया में कहीं भी सिर उठाकर चलने की क्षमता इसी मिट्टी का

आखिर टेट परीक्षा का फाटक टूट गया

माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार शिक्षकीय सेवा में बने रहने के लिए बेसिक शिक्षा में कार्यरत सभी शिक्षक-शिक्षिकाओं को दो वर्ष में टेट

अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य था। हालांकि जिन शिक्षकों की सेवानिवृत्ति का

समय पांच वर्ष बचा था,उनको

परीक्षा से छूट प्रदान की गई थी। फिर भी,शिक्षक-शिक्षिकाओं की एक बड़ी संख्या इस दायरे में आ रही थी। वर्ष 2011 से पूर्व भर्ती हुए शिक्षक-शिक्षिकाओं के सपनों पर तो मानो तुषारपात हो गया। शिक्षक संगठनों के आह्वान पर शिक्षक लामबंद हुए। जिला मुख्यालय से राज्यों की राजधानियों और दिल्ली तक धरना-प्रदर्शन कर विरोध आरम्भ हुआ, पर सरकार टप्प से मस नहीं हुई। किंतु टेट परीक्षा उत्तीर्ण करने का वर्ष एक वर्ष बढ़कर 2028 जरूर कर दिया गया।

शिक्षकों के सामने चुनौतियां मुंह बाये खड़ी थीं। शिक्षक-शिक्षिकाएं बातचीत में तमाम समस्याएं बताते। घर-परिवार का दैनंदिन खर्च,बच्चों की पढ़ाई-लिखाई और वृद्ध बीमार माता-पिता की दवाई। एकमात्र कमाई का जरिया यह नौकरी ही है। और यदि नौकरी नहीं रही तो सभी व्यवस्थाएं चरमरा कर ढह जाएंगी। स्वाभाविक रूप से शिक्षक-शिक्षिकाओं के मन-मस्तिष्क में चिंता की रखाएं उभर रही थीं और दबाव हावी था। वे कहते कि जीवन के इस पड़ाव में टेट परीक्षा किसी अभेद्य किले पर फतह करने जैसा है, जिसके मुख्य द्वार पर विशाल मजबूत फाटक लगा है। किंतु समस्या से जूझना ही था,टेट का फाटक तोड़ना ही था।शिक्षक-शिक्षिकाओं में कुछ ने अपने नगर के कोचिंग संस्थानों की शरण ली तो कुछ ने आनलाइन राह पकड़ी। घर में पिता और पुत्र-पुत्रियां साथ पढ़ने लगे। विद्यालयों में और बचें समय का सदुपयोग गपशप की बजाय नोट्स बनाने में लगने लगा। जल्दी ही थूपी टेट परीक्षा का निष्पापन निकला। धड़काहड़ आवेदन किये जाने लगे। मुझ पर टेट परीक्षा का तो कोई खास दबाव-भय न था। अपनी पढ़ने-लिखने की रोजमर्रा की आदत और

पद से पहवान मिली,लोगों से मिला...जीवन का अर्थ पदनाम के बाद बचा सिर्फ एक सवाल...अब किसके लिए?

ऋण है। उसी ऋण ने उन्हें लौटाया। दो बार यूपीएससी दी;पहली बार (2012) आईपीएस चयन और दूसरी बार (2013) अखिल भारतीय रैंक 68 के साथ आईएएस। यह केवल परीक्षा की सफलता नहीं थी,बल्कि भीतर उठती पुकार का जवाब था।

मिर्जापुर ने उस पुकार को अर्थ दिया। लहुरियादह (मिर्जापुर के हलिया ब्लॉक का पहाड़ी गांव) में जब पाइप के रास्ते पानी पहुंचा और करीब सत्तर-पचहत्तर साल बाद पहली बार किसी नल से पानी निकला,तब विकास किसी सरकारी रिपोर्ट का शब्द नहीं रहा। वह पानी बनकर सामने था। एक वृद्ध महिला ने कोई भाषण या औपचारिक धन्यवाद नहीं दिया;उन्होंने बस कांपते हाथों से दिव्या के सिर पर हाथ रखा और आशीर्वाद दिया। उस स्पर्श ने शायद किसी प्रशस्ति-पत्र से अधिक गहरी बात कह दी। दिव्या ने लिखा कि वह यह सोचकर आई थीं कि कुछ देने जा रही हैं,जबकि असल में सबसे ज्यादा उन्होंने ही पाया। यही वह क्षण है जब अधिकारी की आंख से फाइल हटती है और सामने इंसान दिखाई देता है। उनके अनुभवों की दूसरी किताब देवरिया और मिर्जापुर ने मिलकर लिखी। देवरिया ने उन्हें बताया कि सही के साथ खड़ा



होना सुविधा नहीं,कर्तव्य है। मिर्जापुर ने सिखाया कि 'असंभव' हमेशा पथ्य पर लिखी हुई सच्चाई नहीं होता,कई बार वह केवल किसी की बनाई हुई धारणा होता है। जमीन का अधिकार पाकर परिवार की आंखों में लौटती चमक,विकलांग बच्चों को मिलती गरिमा या किसान के खेत तक पहुंचता पानी-इन छोटे दिखने वाले बदलावों ने उनके सपने की बड़ी-बड़ी परिभाषाओं को प्रगटे सामने छोटा कर दिया। तब सवाल उठना स्वाभाविक है कि जिसने व्यवस्था के भीतर रहकर इतने अर्थ खोज लिए,वह उसी व्यवस्था से बाहर क्यों चला गया?

इस प्रश्न का आसान उत्तर शायद कोई नहीं है। न उन्होंने किसी एक घटना को इस्तीफे का कारण बताया,यह मौन जल्दबाजी से बेहतर है,क्योंकि हर सपना टूटार नहीं हुआ। पिछले कुछ महीनों से

पहुंचा। अनुज विनोद दीक्षित की कार द्वारा बांदा से दो अन्य शिक्षकों के साथ 4 जुलाई की सुबह परीक्षा देने पहुंचे।

दोनों सहयात्री शिक्षकों की बातचीत में गहरा दर्द रह-रहकर बाहर आ रहा था। मुझे लगा कि वह पीर-कसक-वेदना उनकी न होकर सम्पूर्ण शिक्षक समुदाय की हो गई है। समय से परीक्षा केंद्र पर पहुंचं औपचारिकताएं पूरी कर बैग जमा किया और कक्ष में आर्वाटेंट अपनी सीट पर बैठ गया। वहां अन्याय शिक्षकों से भेंट और हंसी-मजाक का दौर चला पर हंसी की चादर के भीतर से पीड़ा अपना विद्रूप चेहरा निकाल बाहर झांक लेती थी तब माहौल चमकय उदास और नीरस हो जाता। घंटी बजी और ओएमआर शीट तथा प्रश्नपत्र दे दिया गया। ध्यानपूर्वक सभी पृतियां भरें। स्टूडेंट लाइफ की फीलिंग आ रही थी। दिल धक-धक कर रहा था, वह बोली कि पापा जी! आप काम गर्म होकर आवश्यक टिप्पस बता देती हूं। आप उतना पढ़ लें तो आराम से उत्तीर्ण हो जाएंगे, हालांकि मैं जानती हूं कि आप पास हो जाएंगे। बेटी के आग्रह पर गाइडों की खोजबीन शुरू हुई,पर वे नहीं मिलीं। पत्नी का स्वाभाविक गुस्सा चौथे आसमान पर था। वह संस्कृति से बोलें कि पढ़ा पाइए ने पांच मिनट भी किसी दिन गाइड परित्याग नहीं पढ़ा,बस अखबारों-पत्रिकाओं के लिए लेख लिखते और दूसरी किताबें पढ़ते रहे हैं। मम्मी का तर्ज नौकरी ही है। और यदि नौकरी नहीं रही तो सभी व्यवस्थाएं चरमरा कर ढह जाएंगी। स्वाभाविक रूप से शिक्षक-शिक्षिकाओं के मन-मस्तिष्क में चिंता की रखाएं उभर रही थीं और दबाव हावी था। वे कहते कि जीवन के इस पड़ाव में टेट परीक्षा किसी अभेद्य किले पर फतह करने जैसा है, जिसके मुख्य द्वार पर विशाल मजबूत फाटक लगा है। किंतु समस्या से जूझना ही था,टेट का फाटक तोड़ना ही था।शिक्षक-शिक्षिकाओं में कुछ ने अपने नगर के कोचिंग संस्थानों की शरण ली तो कुछ ने आनलाइन राह पकड़ी। घर में पिता और पुत्र-पुत्रियां साथ पढ़ने लगे। विद्यालयों में और बचें समय का सदुपयोग गपशप की बजाय नोट्स बनाने में लगने लगा। जल्दी ही थूपी टेट परीक्षा का निष्पापन निकला। धड़काहड़ आवेदन किये जाने लगे। मुझ पर टेट परीक्षा का तो कोई खास दबाव-भय न था। अपनी पढ़ने-लिखने की रोजमर्रा की आदत और

फिसलता रहा और परीक्षा का दिन आ रहा था। 26 अगस्त की शाम को रिजल्ट आया। अगली सुबह रिजल्ट देखा तो बहुत अच्छे अंक प्राप्त हुए-प्राथमिक में 132 और जूनियर में 124 अंक। अब मैं सातवें आसमान पर हूं। मेरी सफलता की खुशी में उस दिन सुबह से ही वरुण देव के नयनों से अविद्यम अश्रु धारा प्रवाहित होती रही और विभाज ने रेनोडे घोषित कर दिया। और मैं, मैं पराठा सब्जी और एक गिलास दूध पीकर घर के सभी कार्यों से मुक्ति पाकर अपने अध्ययन कक्ष में पलंग पर बैठ यह संस्मरण लिख रहा हूं। साधियों के बधाई संदेश और फोन काल आ रहे हैं। पर मैं सोच रहा हूं कि बिना गाईड पढ़े पासे कैसे हो गया।

डॉ. सुरेश कुमार मिश्रा उत्तम सदर तहसील के उस अंधेरे गलियारे में तीन टांगों के सहारे टिकी वह पुरानी लकड़ी की कुर्सी सालों से धूल फांक रही थी। वह कुर्सी दरअसल हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था का सजीव प्रतीक थी जिसमें स्थायित्व के लिए चौथे पाए की जगह ईंटों का एक चटखट्टा लगा हुआ था। ईंट और प्रशासन का पुराना रिश्ता है क्योंकि यहीं फाड़लें भी ईंट की रफ्तार से चलती हैं और अफसरों के दिल भी ईंट के ही बने होते हैं। पचहत्तर साल के जगन्नाथ बाबा हर सोमवार सुबह ठीक दस बजे अपने कांते धा्यों में एक लाल रंग की पुरानी फाइल दबाकर उस टूटी कुर्सी पर आकर बैठ जाते थे। दफ्तर का नया चपरासी जब भी उन्हें वहाँ बैठते देखाता तो झुंझलाकर कहता कि बाबा इस टूटी कुर्सी पर क्यों बैठते हो किसी दिन गिरकर अपनी बूढ़ी हड्डियां तुड़वा बैठेंगे। चपरासी की यह चिंता मानवाधिकार से ज्यादा दफ्तर की फर्श गंदी होने के डर से उभजी थी क्योंकि सरकारी फर्श पर बुजुर्ग का गिरना प्रोटोकॉल का उल्लंघन माना जाता है। बाबा अपनी सूजी हुई आंखों से उसकी तरफ देखते और उदास मुस्कान बिखेरते हुए कहते कि बेटा इस कुर्सी से मेरी आत्मा का नाता जुड़ चुका है। असल में आत्मा और परमात्मा के मिलन के लिए भारत में सरकारी दफ्तर से उपयुक्त कोई जगह नहीं है क्योंकि यहीं पहुँचकर आदमी को दुनिया की नश्वरता का तुरंत आभास हो जाता है।

दफ्तर के बड़े बाबू अक्सर उन्हें देखकर ताना मारेते कि जमीन का मुआवज़ा पाना इतना आसान नहीं होता बूढ़े तुम तीन साल से यहीं चक्कर काट रहे हो पर फाइल आगे सरकती ही नहीं। बड़े बाबू का यह कहना वैसा ही था जैसे यमराज किसी को अमर होने का वक़दान दे रहे हों। सरकारी फाइल में पहिये नहीं होते पर उसके पैर इतने लंबे होते हैं कि वह दराज़ से निकलकर अलमारी तक पहुँचने में एक पूरी पीढ़ी निगल जाती है। तहसील में आने वाले तमाम फरियादी और मुंशी उस टूटी कुर्सी पर बैठे जगन्नाथ बाबा को बड़े अचरज से देखते थे जैसे वे किसी ऐतिहासिक स्मारक के अवशेष हों। बाबा कभी किसी अफसर से बदतमीजी नहीं करते थे क्योंकि वे जानते थे कि अफसर को गुस्सा दिलाना साक्षात् ईश्वर को त्यागपत्र देने जैसा है। दोपहर ढलते ही वे अपनी फाइल को झोले में रखते और कुर्सी के ईंट वाले पाए को थोड़ा सीधा करके अपने घर चले जाते थे। गाँव के लोग कहते थे कि बाबा की उजाऊ ज़मीन पर जब से नया हाईवे बना है तब से वे एक एक पैसे के लिए मोहताज हो गए हैं। हाईवे दरअसल विकास की वह सड़क है जिस पर अमीर अपनी गाड़ियाँ दौड़ाते हैं और गरीब अपनी फाइलें।

जब भी कोई मुंशी या वकील बाबा से उनका दुखड़ा पूछने आता तो वे सिर्फ फाइल की तरफ इशारा करते। पूरा तहसील प्रशासन इस बात से हैरान था कि कोई इंसान बिना किसी उग्र प्रदर्शन के केवल एक टूटी कुर्सी पर बैठकर इतना गहरा सज़ाटा कैसे रच सकता है। असल में भारतीय प्रशासन को शो की आदत है पर खामोशी उसे डराती है क्योंकि खामोश आदमी कभी

दिव्या का जाना प्रशासनिक व्यवस्था के सामने एक असहज आईना रखता है। सिविल सेवा राज्य की रीढ़ है और स्वेच्छ से अलग होने वाला हर अधिकारी एक सवाल छोड़ता है...क्या व्यवस्था उन लोगों के लिए पर्याप्त जगह बना पा रही है, जिनकी बेचैनी केवल फाइल निपटाने से शांत नहीं होती? इसका अर्थ यह नहीं कि हर इस्तीफा व्यवस्था की विफलता है। लेकिन ऐसे फैसले हमें व्यवस्था के उद्देश्य पर फिर सोचने को मजबूर करते हैं। पद रहते हुए दिव्या ने पानी पहुँचाया; अब पद से बाहर निकलकर भी वे शायद उन प्यासों तक पहुँचना चाहती हैं,जिन्हें सरकारी सीमाएं नहीं छू पातीं। सेवा का गस्ता बदल सकता है, सेवा की प्यास नहीं।

आखिर में बचता है वही कांपता हाथ, जो एक बुजुर्ग महिला ने उनके सिर पर रखा था। सरकारी कुर्सी बदलती है, पदनाम मिट जाता है,फाड़लें दूसरी मेज पर चली जाती हैं;लेकिन किसी की आंख में लौटी उम्मीद और किसी आंगन में पहली बार बहा पानी सूति से नहीं जाता। दिव्या मि्तल का इस्तीफा इसलिए महत्वपूर्ण नहीं कि एक आईएएस अधिकारी ने नौकरी छोड़ दी। महत्वपूर्ण यह है कि उन्होंने पद और उद्देश्य में फर्क करने का साहस दिखाया। कुर्सी सेवा का माध्यम थी;जनता का सपना मंजिल। अब देखना है कि पद से मुक्त हुई यह उजड़ किसा दिशा में बहती है। कुछ सपने कुर्सी पर बैठकर पूरे होते हैं,कुछ कुर्सी छोड़ने के बाद चलना शुरू करते हैं।

लाल फीता

डॉ. सुरेश कुमार मिश्रा उत्तम

सदर तहसील के उस अंधेरे गलियारे में तीन टांगों के सहारे टिकी वह पुरानी लकड़ी की कुर्सी सालों से धूल फांक रही थी। वह कुर्सी दरअसल हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था का सजीव प्रतीक थी जिसमें स्थायित्व के लिए चौथे पाए की जगह ईंटों का एक चटखट्टा लगा हुआ था। ईंट और प्रशासन का पुराना रिश्ता है क्योंकि यहीं फाड़लें भी ईंट की रफ्तार से चलती हैं और अफसरों के दिल भी ईंट के ही बने होते हैं। पचहत्तर साल के जगन्नाथ बाबा हर सोमवार सुबह ठीक दस बजे अपने कांते धा्यों में एक लाल रंग की पुरानी फाइल दबाकर उस टूटी कुर्सी पर आकर बैठ जाते थे। दफ्तर का नया चपरासी जब भी उन्हें वहाँ बैठते देखाता तो झुंझलाकर कहता कि बाबा इस टूटी कुर्सी पर क्यों बैठते हो किसी दिन गिरकर अपनी बूढ़ी हड्डियां तुड़वा बैठेंगे। चपरासी की यह चिंता मानवाधिकार से ज्यादा दफ्तर की फर्श गंदी होने के डर से उभजी थी क्योंकि सरकारी फर्श पर बुजुर्ग का गिरना प्रोटोकॉल का उल्लंघन माना जाता है। बाबा अपनी सूजी हुई आंखों से उसकी तरफ देखते और उदास मुस्कान बिखेरते हुए कहते कि बेटा इस कुर्सी से मेरी आत्मा का नाता जुड़ चुका है। असल में आत्मा और परमात्मा के मिलन के लिए भारत में सरकारी दफ्तर से उपयुक्त कोई जगह नहीं है क्योंकि यहीं पहुँचकर आदमी को दुनिया की नश्वरता का तुरंत आभास हो जाता है।

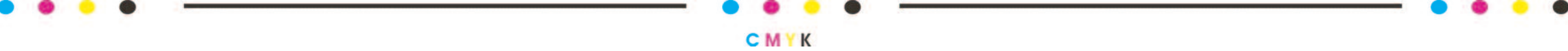
दफ्तर के बड़े बाबू अक्सर उन्हें देखकर ताना मारेते कि जमीन का मुआवज़ा पाना इतना आसान नहीं होता बूढ़े तुम तीन साल से यहीं चक्कर काट रहे हो पर फाइल आगे सरकती ही नहीं। बड़े बाबू का यह कहना वैसा ही था जैसे यमराज किसी को अमर होने का वक़दान दे रहे हों। सरकारी फाइल में पहिये नहीं होते पर उसके पैर इतने लंबे होते हैं कि वह दराज़ से निकलकर अलमारी तक पहुँचने में एक पूरी पीढ़ी निगल जाती है। तहसील में आने वाले तमाम फरियादी और मुंशी उस टूटी कुर्सी पर बैठे जगन्नाथ बाबा को बड़े अचरज से देखते थे जैसे वे किसी ऐतिहासिक स्मारक के अवशेष हों। बाबा कभी किसी अफसर से बदतमीजी नहीं करते थे क्योंकि वे जानते थे कि अफसर को गुस्सा दिलाना साक्षात् ईश्वर को त्यागपत्र देने जैसा है। दोपहर ढलते ही वे अपनी फाइल को झोले में रखते और कुर्सी के ईंट वाले पाए को थोड़ा सीधा करके अपने घर चले जाते थे। गाँव के लोग कहते थे कि बाबा की उजाऊ ज़मीन पर जब से नया हाईवे बना है तब से वे एक एक पैसे के लिए मोहताज हो गए हैं। हाईवे दरअसल विकास की वह सड़क है जिस पर अमीर अपनी गाड़ियाँ दौड़ाते हैं और गरीब अपनी फाइलें।

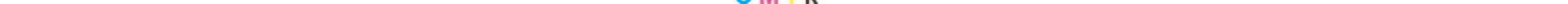
जब भी कोई मुंशी या वकील बाबा से उनका दुखड़ा पूछने आता तो वे सिर्फ फाइल की तरफ इशारा करते। पूरा तहसील प्रशासन इस बात से हैरान था कि कोई इंसान बिना किसी उग्र प्रदर्शन के केवल एक टूटी कुर्सी पर बैठकर इतना गहरा सज़ाटा कैसे रच सकता है। असल में भारतीय प्रशासन को शो की आदत है पर खामोशी उसे डराती है क्योंकि खामोश आदमी कभी

सूचना

समाचार पत्र में छपे समाचार एवं लेखों पर सम्पादक की सहमति आवश्यक नहीं है। हमारा ध्येय तथ्यों के आधार पर सटीक खबरें प्रकाशित करना है न कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। सभी विवादों का निपटारा अम्बिकापुर न्यायालय के अधीन होगा।

सम्पादक





पुलिया किसके लिए? रास्ता सूना, जमीन निजी और खर्च सरकारी!

खुटरापारा में 10 लाख से अधिक की मनरेगा पुलिया पर सवाल, शिकायतों के बाद भी निर्माण को लेकर उठी उंगली



रासालों के घेरे में पूरा निर्माण

- जिस रास्ते पर आवागमन नहीं, वहां इतने लाखों का निर्माण क्यों?
- निजी भूमि पर बिना सहमति पुलिया निर्माण का आरोप!
- शिकायतों के बाद भी फिर शुरू हुआ काम?
- जांच की मांग तेज, पंचायत की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल

न जरूरत, न आवागामी... फिर भी बन गई लाखों की पुलिया! | **निजी जमीन पर निर्माण का आरोप** | **शिकायतों के बावजूद दोबारा शुरू कराने की कोशिश?** | **राजस्व रिकॉर्ड और मौके की स्थिति में अंतर** | **अब जांच से खुलेगा सच... जनहित या सिर्फ कमीशन का खेल?**

जहां कोई जाता नहीं, वहां विकास दौड़ पड़ा! खुटरापारा में लाखों की पुलिया-रास्ता किसे जोड़ती है, शायद फाइल भी नहीं जानती

जिस रास्ते पर आवागामी नहीं... वहां 10 लाख से अधिक खर्च... निजी जमीन पर निर्माण के आरोप ने बढ़ाई पंचायत की मुश्किल...

न रास्ता आबाद, न जरूरत साफ... फिर भी लाखों की पुलिया! खुटरापारा में सरकारी धन के इस्तेमाल पर सवाल...

'खुटरापारा में विकास' की उलटी गंगा, निजी जमीन पर लाखों की पुलिया!

पंचायत में पहले पुलिया बनी, अब जरूरत तलाश रहे सवाल! खुटरापारा का मनरेगा निर्माण घेरे में...

-रवि सिंह-

बैकुंठपुर/कोरिया, 31 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।
पंचायतों में विकास कार्य इसलिए किए जाते हैं ताकि गांव की जरूरतें पूरी हों, लोगों का आवागमन आसान हो और सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे ग्रामीणों तक पहुंचे, लेकिन जब विकास की प्राथमिकता जरूरत के बजाय निर्माण और खर्च बन जाए, तब वही निर्माण सवालियों के घेरे में आ जाता है, कोरिया जिले के बैकुंठपुर विकासखंड की ग्राम पंचायत खुटरापारा में मनरेगा से कराए गए आरसीसी पुलिया निर्माण को लेकर सामने आए दस्तावेज और मौके की तस्वीरें इसी तरह के कई सवाल खड़े कर रही हैं। मामला करीब 10.07 लाख रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति वाले आरसीसी पुलिया निर्माण से जुड़ा है, सरकारी सूचना पटल पर कार्य का विवरण, स्वीकृत राशि, मजदूरी और सामग्री मद सहित अन्य जानकारीयों दर्ज हैं, लेकिन दूसरी तरफ इस निर्माण की जरूरत, उपयोगिता और निर्माण स्थल की भूमि को लेकर शिकायत सामने आ चुकी है, सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस रास्ते पर सामान्य ग्रामीण आवागमन ही नहीं के बराबर बताया जा रहा है, वहां लाखों रुपये खर्च कर पुलिया आखिर किस जरूरत को पूरा करने के लिए बनाई गई?

‘पुल किसे जोड़ता है?’ सबसे बड़ा सवाल...

मौके की स्थिति को देखकर एक और सवाल उठता है कि आखिर यह पुलिया किस गांव, किस बस्ती या किस मुख्य मार्ग को जोड़ने के लिए बनाई गई है? किसी पुलिया का निर्माण अपने आप में विकास नहीं है, उसकी उपयोगिता तभी है जब वह किसी वास्तविक आवागमन की समस्या का समाधान करे, यदि पुलिया बनने के बाद भी उसका इस्तेमाल करने वाला कोई प्रमुख मार्ग नहीं है, तो फिर यह सवाल उठेगा कि योजना तैयार करते समय आवश्यकता का आकलन किस आधार पर किया गया था, क्या ग्रामसभा में इस कार्य की आवश्यकता पर चर्चा हुई थी? क्या ग्रामीणों से प्रस्ताव लिया गया था? क्या स्थल का तकनीकी निरीक्षण हुआ था? क्या यह देखा गया कि बरसात में यहां वास्तव में आवागमन बाधित होता है? इन सवालों के जवाब कार्य की स्वीकृति फाइल से मिल सकते हैं।

निजी जमीन पर सरकारी निर्माण का आरोप...

मामले का दूसरा और अधिक गंभीर पहलू भूमि स्वामित्व से जुड़ा है, 25 मई 2026 को जनदर्शन अधिकारी के समक्ष दिए गए आवेदन में लवांगो बाई, पति हीरसाय, ग्राम खुटरापारा की ओर से शिकायत की गई है कि जिस भूमि पर ग्राम पंचायत एजेंसी द्वारा आरसीसी पुलिया निर्माण कराया जा रहा है, उस भूमि पर उनका स्वामित्व एवं आधिपत्य है, शिकायत में खसरा नंबर 42/4 एवं 42/5 सहित भूमि का उल्लेख किया गया है, शिकायतकर्ता का कहना है कि उनकी सहमति के बिना पंचायत द्वारा निर्माण कार्य कराया जा रहा है और इस कारण निर्माण रोककर मामले की जांच की जाए, यदि शिकायत में किया गया दावा सही है तो मामला केवल अनावश्यक निर्माण तक सीमित नहीं रहेगा, तब सवाल यह होगा कि निजी भूमि की स्थिति की जांच किए बिना सरकारी योजना का निर्माण स्थल कैसे निर्धारित हुआ?

विकास के नाम पर निर्माण या निर्माण के नाम पर खर्च?... ग्रामीण विकास योजनाओं का मूल उद्देश्य स्पष्ट है- जहां सड़क की जरूरत है वहां सड़क, जहां जल निकासी की जरूरत है वहां नाली और जहां बरसात में आवागमन बाधित होता है वहां पुलिया बनाई जाए, लेकिन यदि किसी ऐसे रास्ते पर पुलिया बना दी जाए जिसका उपयोग ही सीमित हो, तो उसकी उपयोगिता पर सवाल उठना स्वाभाविक है, खुटरापारा की इस पुलिया को लेकर स्थानीय स्तर पर यही सवाल उठाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि जिस मार्ग पर निर्माण किया गया, वहां से न तो कोई प्रमुख ग्रामीण मार्ग जुड़ता दिखाई देता है और न ही ऐसा निर्यात आवागमन है, जिससे दस लाख रुपये से अधिक के निर्माण को तत्काल आवश्यक माना जा

सके, ऐसे में पंचायत को यह स्पष्ट करना चाहिए कि इस पुलिया से कितने ग्रामीण परिवार लाभान्वित होंगे, यह किस आबादी को जोड़ती है और इस मार्ग की प्राथमिकता तय करने का आधार क्या था? क्योंकि सरकारी योजना में किसी कार्य का स्वीकृत हो जाना और उसका वास्तव में जनहित में जरूरी होना—दो अलग-अलग बातें हैं।
राजस्व रिकॉर्ड बनाम पंचायत की फाइल- मामले से जुड़े राजस्व दस्तावेजों में संबंधित खसरा का विवरण दिखाई देता है, दस्तावेजों में खसरा नंबर 42/4, 42/5 सहित अन्य भूमि खंडों का उल्लेख है, यहीं पर प्रशासन के सामने जांच का सबसे आसान रास्ता भी मौजूद है, राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज भूमि की सीमा का मौके पर सीमांकन कराया जाए

शिकायतें पहले भी पहुंचीं, फिर मामला क्यों नहीं सुलझा?

इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि भूमि और निर्माण को लेकर शिकायत पहली बार नहीं की गई थी, शिकायतकर्ता द्वारा उपलब्ध कराए गए आवेदन में उल्लेख है कि पूर्व में भी संबंधित अधिकारियों के समक्ष आपत्ति दर्ज कराई गई थी, इसमें 6 जनवरी 2025 को जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, 22 फरवरी 2025 को तहसीलदार बैकुंठपुर तथा 15 अप्रैल 2025 को जनदर्शन में आवेदन दिए जाने का उल्लेख है, शिकायत में यह भी कहा गया है कि आपत्ति के बाद निर्माण कार्य लंबे समय तक बंद रहा, लेकिन बाद में फिर से निर्माण कार्य शुरू करने का प्रयास किया गया, यही बिंदु प्रशासनिक जांच को और जरूरी बनाता है, यदि शिकायत के बाद कार्य रोका गया था तो उस समय क्या जांच हुई? क्या भूमि विवाद का निराकरण किया गया? क्या शिकायतकर्ता की आपत्ति खारिज की गई? क्या कोई सीमांकन रिपोर्ट बनी? क्या निर्माण स्थल बदलने या काम जारी रखने का कोई आदेश दिया गया? इन सवालों का जवाब संबंधित विभागीय रिकॉर्ड से ही मिलेगा।

और यह देखा जाए कि पुलिया वास्तव में किस खसरे में बनी है, इसके बाद पंचायत की कार्य स्वीकृति और तकनीकी नक्शे से उसका मिलान किया जाए, यदि तीनों रिकॉर्ड—राजस्व नक्शा, पंचायत की स्वीकृति और मौके की वास्तविक स्थिति—एक-दूसरे से मेल खाते हैं तो विवाद काफी हद तक स्पष्ट हो सकता है, लेकिन यदि निर्माण स्थल और स्वीकृत स्थल अलग पाए जाते हैं, या निजी भूमि पर निर्माण की पुष्टि होती है, तो फिर जिम्मेदारी तय करने का प्रश्न सामने आएगा।

सूचना पटल पर खर्च का हिसाब, लेकिन उपयोगिता का हिसाब कौन देगा?—मौके पर लगे नागरिक सूचना पटल पर कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति करीब 10.07 लाख रुपये बताई गई है, इसमें मजदूरी और सामग्री मद की राशि भी दर्ज है। सूचना पटल 2024 दर्ज है, यानी सरकारी रिकॉर्ड में कार्य का हिसाब मौजूद है, लेकिन सवाल यह है कि सरकारी पैसे के खर्च का हिसाब तो सूचना पटल बता रहा है, इस खर्च की उपयोगिता का हिसाब कौन देगा? यदि पुलिया जरूरी थी तो उसके उपयोग का स्पष्ट आधार होना चाहिए,

चाहिए, जनपद पंचायत और मनरेगा के तकनीकी अधिकारियों को कार्य की स्वीकृति और स्थल का परीक्षण करना चाहिए, पंचायत से ग्रामसभा प्रस्ताव और कार्य चयन का रिकॉर्ड लिया जाना चाहिए, इसके साथ ही कार्य की तकनीकी स्वीकृति, प्रशासनिक स्वीकृति, माप पुस्तिका, जियो-टैग तस्वीरें, मजदूरी भुगतान, सामग्री भुगतान और कार्य पूर्णता संबंधी दस्तावेज की जांच की जानी चाहिए, इससे यह साफ हो सकता है कि पुलिया वास्तव में स्वीकृत स्थान पर बनी है या नहीं और निर्माण का वास्तविक जनहित क्या था।

सवाल पुलिया से बड़ा है...

खुटरापारा की पुलिया का विवाद केवल एक निर्माण कार्य का मामला नहीं है। यह पंचायतों में विकास की प्राथमिकता पर बड़ा सवाल खड़ा करता है, क्या पहले जरूरत तय होती है और फिर निर्माण होता है, या पहले निर्माण तय होता है और बाद में जरूरत खोजी जाती है? यदि पुलिया जरूरी थी तो पंचायत को जनता के सामने उसका पूरा औचित्य रखना चाहिए, यदि निजी भूमि का आरोप गलत है तो राजस्व रिकॉर्ड और सीमांकन से स्थिति साफ की जा सकती है, और यदि शिकायत सही पाई जाती है तो यह भी तय होना चाहिए कि सरकारी योजना का स्थल चयन किस स्तर पर गलत हुआ, सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि 10 लाख रुपये से अधिक की राशि से बनी या बनाई जा रही परिसंपत्ति का उपयोग वर्षों तक होना चाहिए, केवल सरकारी फाइल में उसका निर्माण पूरा दिखना पर्याप्त नहीं है, खुटरापारा में अब गंद प्रशासन के पाले में है, जमीन का सीमांकन, पुलिया की उपयोगिता और मनरेगा की पूरी फाइल... इन तीनों की निष्पक्ष जांच हो जाए तो यह साफ हो जाएगा कि यहां विकास हुआ है या फिर निर्माण के लिए निर्माण की कहानी लिखी गई है।

अगस्त में 658 मिमी वर्षा, 1969 के बाद दूसरी सबसे अधिक बारिश, लगातार तीसरे दिन बरसे बदरा

—संवाददाता—
अम्बिकापुर, 31 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।

चार माह की मानसूनी अवधि पूरी होने से पहले ही अम्बिकापुर में औसत बारिश का आंकड़ा पार हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार 1 जून से 31 अगस्त तक अम्बिकापुर में कुल 1229.3 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जो मानसून की सामान्य औसत वर्षा 1220 मिमी का 100.8 प्रतिशत है। यानी मानसून के अभी करीब एक माह शेष रहते ही सामान्य बारिश का लक्ष्य पूरा हो चुका है। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार मानसून की अवधि कुल 122 दिन यानी चार माह की होती है। सोमवार को मानसून के 92 दिन पूरे हुए हैं। इसके बावजूद अम्बिकापुर में अब तक सामान्य से अधिक बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है। जून से अगस्त तक तीन महीनों में ही अच्छी बारिश होने से जिले में मौसम का मिजाज पूरी तरह बदला हुआ है।

अगस्त में रिकॉर्ड बारिश, 55 साल बाद दूसरा बड़ा आंकड़ा

इस वर्ष अगस्त माह में बारिश ने नया रिकॉर्ड बनाया है। मौसम विभाग के अनुसार अगस्त में कुल 658 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जो वर्ष 1969 के बाद अगस्त माह में दूसरी सबसे अधिक बारिश है। इससे पहले अगस्त माह में इतनी अधिक



जुलाई में भी जमकर बरसे बादल

मानसून की शुरुआत में जून माह में बारिश सामान्य से कम रही और पूरे महीने में 109.3 मिमी वर्षा दर्ज की गई। इसके बाद जुलाई में मानसून पूरी तरह सक्रिय हुआ और 462 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई। अगस्त में बारिश की रफ्तार और बढ़ गई। तीनों महीनों की बारिश को मिलाकर अब तक 1229.3 मिमी पानी गिर चुका है।

किसानों को राहत, जलभराव की स्थिति भी बनी

अच्छी बारिश से जिले के किसानों को बड़ी राहत मिली है। धान सहित खरीफ फसलों के लिए पर्याप्त पानी मिलने से खेती-किसानों का काम तेजी से चल रहा है। हालांकि लगातार बारिश के कारण कुछ क्षेत्रों में खेतों में पानी भरने और शहर के निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति भी बनी है। मौसम विभाग ने बताया कि मानसून अभी सक्रिय स्थिति में है। अगले कुछ दिनों तक सरगुजा संभाग में बादल छाए रहने के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना बनी हुई है। अगस्त के अंतिम दिनों में हुई बारिश ने जिले के मानसूनी आंकड़ों को मजबूत कर दिया है। अब लोगों की नजर सितंबर माह में होने वाली बारिश पर है, जिससे वर्षा का कुल आंकड़ा और बढ़ने की संभावना है।

ही दर्श का आंकड़ा कभी-कभार भी दर्ज हुआ है। अगस्त के अंतिम सप्ताह में लगातार सक्रिय रहे मानसूनी सिस्टम के कारण जिले में रुक-रुककर तेज बारिश का दौर जारी रहा।

निर्धारित किराए से ज्यादा वसूली पर परिवहन विभाग की कार्रवाई, यात्रियों को लौटाई अतिरिक्त राशि

अम्बिकापुर-रामानुजगंज और बिलासपुर रूट पर जांच में सामने आया मामला, दो बसों पर चालानी कार्रवाई

—संवाददाता—
अम्बिकापुर, 31 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।

यात्री बसों में निर्धारित दर से अधिक किराया वसूले जाने की शिकायतों को परिवहन विभाग ने गंभीरता से लेते हुए बस स्टैंड अम्बिकापुर में जांच अभियान चलाया। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी के निर्देश पर परिवहन उड़नदस्ता प्रभारी आसम्बर द्विवेदी के नेतृत्व में यात्री बसों की जांच की गई। इस दौरान अधिकारियों ने बसों में सफर कर रहे यात्रियों से सीधे किराए की जानकारी ली और निर्धारित दर से अधिक राशि वसूले जाने पर यात्रियों को अतिरिक्त राशि वापस कराई।

रामानुजगंज रूट पर अतिरिक्त किराया वापस

जांच के दौरान अम्बिकापुर से रामानुजगंज जाने वाली साधारण बस में यात्रियों से किराए की जानकारी ली गई। निर्धारित दर से अधिक किराया लिए जाने की स्थिति सामने आने पर परिवहन विभाग ने संबंधित यात्रियों को अतिरिक्त वसूली गई राशि वापस कराई।

बिलासपुर जाने वाले

यात्रियों को भी मिली राहत इसी तरह बिलासपुर रूट पर संचालित साधारण बसों की जांच में यात्रियों से 400 रुपए किराया लिए जाने की जानकारी सामने आई। निर्धारित दर से अधिक वसूली पाए जाने पर अतिरिक्त राशि यात्रियों को वापस



किराया सूची नहीं लगाने पर दो बसों पर कार्रवाई...

जांच के दौरान दो बसों में किराया सूची चप्पा नहीं करने और निर्धारित दर से अधिक किराया लेने का मामला सामने आया। परिवहन विभाग द्वारा दोनों बसों के विरुद्ध नियमानुसार चालानी कार्रवाई की गई। अधिकारियों ने बस संचालकों को निर्देशित किया कि प्रत्येक यात्री बस में किराया सूची प्रमुख स्थान पर अनिवार्य रूप से चप्पा की जाए, ताकि यात्रियों को निर्धारित किराए की जानकारी स्पष्ट रूप से मिल सके।

रायपुर रूट पर निर्धारित किराया मिला

परिवहन उड़नदस्ता द्वारा रायपुर की ओर संचालित बसों की भी जांच की गई। जांच के दौरान इन बसों में निर्धारित दर के अनुसार किराया लिया जाना पाया गया।

कराई गई। परिवहन विभाग की मौके पर की गई कार्रवाई से यात्रियों को राहत मिली और बस संचालकों को भी निर्धारित किराए के पालन के संबंध में स्पष्ट निर्देश दिए गए।

मनमाना किराया वसूली बर्दाश्त नहीं...

परिवहन विभाग ने बस संचालकों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि यात्रियों से निर्धारित दर से अधिक किराया नहीं लिया जाए। यात्रियों को किराए की जानकारी उपलब्ध कराने के लिए बसों में किराया सूची चप्पा करना भी अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करने कहा गया है।

यात्रियों के हक में कार्रवाई...

परिवहन विभाग की इस कार्रवाई को यात्रियों के हित में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। निर्धारित किराए से अधिक राशि वसूले जाने की स्थिति में मौके पर ही अतिरिक्त राशि वापस कराना इस बात का संकेत है कि यात्रियों से मनमाना किराया वसूलने वालों पर विभाग की नजर है। यात्रियों से भी अपील की गई है कि वे बस में यात्रा करने से पहले किराया सूची जरूर देखें और निर्धारित दर से अधिक किराया लिए जाने पर संबंधित परिवहन विभाग को शिकायत करें।

ड्राई डे पर क्लब ग्रीन पार्क में शराब परोसने का आरोप

सीसीटीवी जांच की उठी मांग

- 15 अगस्त 2026 के ड्राई डे के दिन शराब परोसने का आरोप
- क्लब में केवल सदस्यों का प्रवेश, सदस्यता रजिस्टर की जांच की मांग
- एमपी की अवैध शराब सप्लाई का भी आरोप
- जिला अधिकारी से कथित संरक्षण मिलने की चर्चा



15 अगस्त को क्लब में कौन-कौन था मौजूद? जांच सदस्यता सूची और प्रवेश रिकॉर्ड



एमपी की शराब परोसने और सप्लाई के गंभीर आरोप विभाग के पास है वीडियो साक्ष्य का दावा



अधिकारी से बार-बार मुलाकात पर उठे सवाल सप्ताह में 2-3 बार क्यों हो रही मुलाकात?



ड्राई डे के दिन की निष्पक्ष जांच से ही होगा सच का खुलासा

15 अगस्त के दिन क्लब में कौन-कौन मौजूद था? सदस्यता रजिस्टर, सीसीटीवी फुटेज और शराब स्टॉक की जांच से सामने आ सकता है सच

-रवि सिंह-
मनेंद्रगढ़ ,31 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।

स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त 2026 के ड्राई डे के दौरान एनएच-43 स्थित क्लब ग्रीन पार्क में कथित रूप से शराब परोसे जाने और मध्यप्रदेश की शराब उपलब्ध होने के आरोपों ने आबकारी विभाग की निगरानी व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं,सोशल मीडिया पर सामने आई एक स्थानीय पोस्ट में क्लब में ड्राई डे के बावजूद शराब की बिक्री अथवा परोसे जाने का आरोप लगाया गया है,मामला सामने आने के बाद अब शहरवासियों की मांग है कि इसे केवल सोशल मीडिया के आरोप तक सीमित न रखते हुए 15 अगस्त के दिन के सीसीटीवी फुटेज,क्लब के प्रवेश रजिस्टर, सदस्यता रिकॉर्ड और शराब से संबंधित उपलब्ध दस्तावेजों की निष्पक्ष जांच कराई जाए,इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है,ऐसे में पूरे मामले में जांच के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि ड्राई डे के दौरान वास्तव में शराब परोसी गई थी या नहीं, लेकिन आरोप गंभीर होने के कारण आबकारी विभाग की ओर से तथ्यात्मक जांच की मांग जरूर उठ रही है।

ड्राई डे पर शराब परोसने का आरोप-स्वतंत्रता दिवस जैसे राष्ट्रीय पर्व पर प्रदेश में शराब की बिक्री और परोसने पर प्रतिबंध रहता है, ऐसे में यदि किसी क्लब या प्रतिष्ठान में प्रतिबंध के बावजूद शराब परोसे जाने की शिकायत सामने आती है तो संबंधित विभाग के लिए उसकी जांच महत्वपूर्ण हो जाती है, क्लब ग्रीन पार्क को लेकर सामने आए आरोप में कहा

क्लब में सिर्फ सदस्य आते हैं...तो 15 अगस्त की सूची सामने आए...

प्राप्त जानकारी के अनुसार क्लब ग्रीन पार्क में केवल क्लब के सदस्यों को प्रवेश की अनुमति होने की बात सामने आ रही है, ऐसे में 15 अगस्त के दिन क्लब में मौजूद लोगों की सूची इस जांच में महत्वपूर्ण हो सकती है,जांच में यह देखा जा सकता है कि उस दिन क्लब में कितने लोग पहुंचे,उनमें कितने अधिकृत सदस्य थे और क्या किसी बाहरी व्यक्ति को प्रवेश दिया गया,इसके लिए गेट रजिस्टर,सदस्यता रिकॉर्ड,सीसीटीवी फुटेज और उस दिन की बुकिंग अथवा अन्य उपलब्ध प्रविष्टियों का मिलान किया जा सकता है,यदि क्लब में प्रवेश केवल सदस्यों के लिए है तो उस दिन मौजूद प्रत्येक व्यक्ति की पहचान और सदस्यता की जांच करना अपेक्षाकृत आसान होना चाहिए।

मध्यप्रदेश की शराब का भी आरोप...

मामले में एक और गंभीर आरोप मध्यप्रदेश की शराब से जुड़ा है,स्थानीय स्तर पर दावा किया जा रहा है कि कथित रूप से मध्यप्रदेश की शराब न केवल क्लब में परोसी जाती है,बल्कि उसकी सप्लाई भी की जाती है,यह आरोप फिलहाल स्वतंत्र रूप से प्रमाणित नहीं है,लेकिन यदि विभाग के पास इस संबंध में कोई वीडियो,फोटो,बिल,बोतल,बैच नंबर अथवा अन्य साक्ष्य उपलब्ध होते हैं तो उनकी जांच के माध्यम से शराब के स्रोत का पता लगाया जा सकता है, विशेष रूप से शराब की बोतलों पर अंकित लेबल,बैच नंबर और निर्माता संबंधी जानकारी की जांच यह निर्धारित करने में मदद कर सकती है कि शराब किस राज्य अथवा लाइसेंस प्राप्त स्रोत से आई थी।

गया है कि 15 अगस्त के ड्राई डे पर भी क्लब में शराब उपलब्ध कराई गई,यही आरोप अब पूरे मामले का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु बन गया है, यदि उस दिन क्लब में शराब परोसी गई थी तो यह पता लगाना जरूरी होगा कि शराब कहाँ से आई,किसके माध्यम से पहुंची और किसके निर्देश पर उसे परोसा गया। वहीं यदि ऐसा नहीं हुआ था तो सीसीटीवी और अन्य रिकॉर्ड की जांच के बाद क्लब प्रबंधन भी अपनी स्थिति स्पष्ट कर सकता है।

सिर्फ वीडियो नहीं,पूरा रिकॉर्ड जांचे

विभाग-आबकारी विभाग के संबंधित अधिकारी नितिन कुमार शुक्ला से जानकारी लेने का प्रयास किया गया,उनके अनुसार मध्यप्रदेश की अवैध शराब की बिक्री से संबंधित वीडियो साक्ष्य उपलब्ध होने की बात कही गई है और वीडियो उपलब्ध कराने पर उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी,लेकिन मामले में सवाल यह उठ रहा है कि जांच को केवल किसी एक वीडियो तक सीमित रखने के बजाय 15 अगस्त के पूरे घटनाक्रम की जांच क्यों न की जाए? क्योंकि यदि आरोप ड्राई डे

सीसीटीवी फुटेज सबसे अहम कड़ी...

इस पूरे मामले में सीसीटीवी जांच को सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है,यदि क्लब परिसर में कैमरे लगे हैं तो 15 अगस्त के पूरे दिन और रात की रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखी जानी चाहिए, जांच के दौरान प्रवेश और निकास द्वार के अलावा उन स्थानों की रिकॉर्डिंग भी देखी जा सकती है जहां कथित रूप से शराब परोसी जाती है,सीसीटीवी रिकॉर्डिंग के साथ यदि उस दिन का बिलिंग रिकॉर्ड,स्टॉक रजिस्टर या अन्य उपलब्ध दस्तावेज मिलाए जाएं तो आरोपों की वास्तविकता जांचने में मदद मिल सकती है।

पर शराब परोसे जाने का है तो सीसीटीवी फुटेज इस मामले में महत्वपूर्ण साक्ष्य हो सकता है, फुटेज से यह देखा जा सकता है कि उस दिन क्लब के भीतर गतिविधियां क्या थीं, इसके साथ प्रवेश रजिस्टर और सदस्यता रिकॉर्ड का मिलान करने पर यह भी पता लगाया जा सकता है कि क्लब में मौजूद लोग अधिकृत सदस्य थे या नहीं।

अधिकारी से कथित मुलाकातों पर भी उठे सवाल-मामले में एक सवाल यह भी उठाया जा रहा है कि क्लब संचालित करने वाला व्यक्ति आबकारी विभाग के कार्यालय में नवीन कुमार शुक्ला से सप्ताह में दो से तीन बार मिलने क्यों आता है और कथित रूप से घंटों मुलाकात करता है,हालांकि किसी अधिकारी से किसी व्यक्ति की मुलाकात मात्र अपने आप में किसी अनियमितता अथवा संरक्षण का प्रमाण नहीं है,सरकारी कार्यालयों में व्यवसायिक और प्रशासनिक कारणों से मुलाकातें होना सामान्य बात हो सकती हैं,लेकिन यदि इन मुलाकातों को लेकर संरक्षण का आरोप लगाया जा रहा है तो इसकी पुष्टि

केवल रिकॉर्ड,शिकायतों और संबंधित अधिकारियों के पक्ष से ही हो सकती है,इसलिए इस आरोप को भी तथ्य के रूप में नहीं, बल्कि जांच की मांग के रूप में देखा जाना चाहिए।

संरक्षण के आरोपों की भी हो निष्पक्ष जांच-स्थानीय स्तर पर संबंधित जिला अधिकारी से कथित संरक्षण मिलने के आरोप भी लगाए जा रहे हैं, यह आरोप गंभीर है,लेकिन फिलहाल इसकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है, यदि किसी अधिकारी पर संरक्षण देने का आरोप है तो जांच एजेंसी को यह देखना होगा कि संबंधित अधिकारी के कार्यकाल में क्लब के खिलाफ कोई शिकायत आई थी या नहीं,उस पर क्या कार्रवाई हुई,निरीक्षण कब-कब किया गया और क्या किसी उल्लंघन के बावजूद कार्रवाई नहीं की गई,इससे यह स्पष्ट हो सकेगा कि विभागीय निगरानी नियमित थी या नहीं।

हर सप्ताह सीसीटीवी जांच का सुझाव-शहरवासियों की मांग है कि क्लब ग्रीन पार्क जैसे प्रतिष्ठानों की निगरानी केवल किसी विवाद के बाद न हो,बल्कि नियमित व्यवस्था बनाई जाए,इसके तहत आबकारी विभाग के

अधिकारियों द्वारा क्लब के सीसीटीवी और संबंधित रिकॉर्ड की नियमित जांच एवं निरीक्षण रिपोर्ट तैयार किए जाने का सुझाव दिया जा रहा है,यदि प्रत्येक निरीक्षण का रिकॉर्ड मौजूद रहे तो भविष्य में किसी शिकायत के सामने आने पर विभाग के पास यह बताने के लिए तथ्य होंगे कि किस तारीख को क्या जांच की गई थी और क्या पाया गया था।

अब जांच से ही साफ होगी तस्वीर-

क्लब ग्रीन पार्क को लेकर सामने आए आरोपों का अंतिम निष्कर्ष जांच के बाद ही निकाला जा सकता है। क्लब प्रबंधन का पक्ष भी इस मामले में महत्वपूर्ण होगा,यदि आरोप गलत हैं तो सीसीटीवी,सदस्यता रिकॉर्ड और अन्य दस्तावेज उनकी स्थिति स्पष्ट कर सकते हैं,वहीं यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो यह सवाल उठेगा कि ड्राई डे के दिन शराब क्लब तक कैसे पहुंची और विभागीय निगरानी के बावजूद उसे कैसे परोसा गया? फिलहाल सबसे जरूरी कदम यही है कि 15 अगस्त 2026 के सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित कर उनकी जांच कराई जाए,क्लब में मौजूद लोगों की सदस्यता सत्यापित की जाए और उस दिन के शराब संबंधी रिकॉर्ड का मिलान किया जाए,क्योंकि इस मामले में सोशल मीडिया की चर्चा से ज्यादा महत्वपूर्ण अब सीसीटीवी,रजिस्टर और सरकारी रिकॉर्ड हैं,यदि विभाग निष्पक्ष जांच करता है तो कुछ ही दस्तावेज यह तय कर सकते हैं कि मामला महज आरोप था या ड्राई डे के दिन नियमों को दरकिनार कर वास्तव में शराब परोसी गई थी।

30 गोवंश तस्करी के मामले में लंबे समय से फटार आरोपी गिरफ्तार,जेल भेजा डिंडो चौकी पुलिस की कार्रवाई...16 जुलाई को 30 गोवंश को क़त्तप्रापूर्वक बांधकर ले जाने का था आरोप...

-संवाददाता-
डिंडो/बलरामपुर,31 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।

डिंडो चौकी पुलिस ने गोवंश तस्करी के मामले में लंबे समय से फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। आरोपी की पहचान इब्राहिम सिद्दीकी उर्फ़ ड़ाबर (निवासी बीरेन्द्रनगर) के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार आरोपी के खिलाफ छत्तीसगढ़ पशु परिरक्षण अधिनियम और पशु क़त्ता निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज था।

16 जुलाई को 30 गोवंश के साथ मिला था मामला

पुलिस के मुताबिक 16 जुलाई 2026 को बसंतपुर निवासी आशुतोष कुमार गुप्ता को सूचना मिली थी कि ग्राम बीरेन्द्रनगर स्थित क्रेशर के पास बड़ी संख्या में गाय,बैल और बछियों को रस्सियों से बांधकर ले जाने की तैयारी की जा रही है। सूचना के बाद ग्रामीणों के साथ मौके पर पहुंचने पर करीब 30 रास गोवंश मिले। आरोप है कि इब्राहिम सिद्दीकी अपने दो अन्य साथियों के साथ गोवंश को ले जाने की तैयारी में था। ग्रामीणों को आता देख आरोपी मौके से फरार हो गए। मामले में शिकायत के आधार पर डिंडो चौकी में अपराध क्रमांक 54/2026 दर्ज कर जांच शुरू की गई। पुलिस ने छत्तीसगढ़ पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 की धारा 4, 6, 10 तथा पशु क़त्ता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 11(1)(घ) के तहत कार्रवाई की।

डेढ़ महीने से चल रही थी तलाश

घटना के बाद से आरोपी पुलिस की पकड़ से बाहर था। पुलिस लगातार उसके संभावित ठिकानों पर तलाश कर रही थी। इसी दौरान 31 अगस्त 2026 को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने घेराबंदी कर इब्राहिम सिद्दीकी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार पृच्छाछ में आरोपी ने मामले में अपनी सल्लिसता स्वीकार की। इसके बाद उसे विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया,जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।

उत्तर छत्तीसगढ़ में बदलेगा मौसम का मिजाज,भारी बारिश का अलर्ट...

बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव क्षेत्र का असर,बीते को अत्यधिक बारिश की संभावना थी,कोरिया-एमसीबी में प्रशासन अलर्ट

-संवाददाता-
कोरिया,31 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।

बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव क्षेत्र के प्रभाव से छत्तीसगढ़ में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदलने वाला है,भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 30 अगस्त से 1 सितंबर तक प्रदेश के कई हिस्सों में भारी से अति भारी वर्षा हो सकती है,वहीं 31 अगस्त को अत्यधिक भारी वर्षा की संभावना को देखते हुए उत्तर छत्तीसगढ़ के जिलों में विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत बताई गई थी। बंगाल की खाड़ी के उत्तर-पश्चिमी हिस्से तथा पश्चिम बंगाल और उत्तरी ओडिशा तट से लगे क्षेत्र में बना सुस्पष्ट निम्न दबाव क्षेत्र अब मौसम को प्रभावित कर रहा है,इसके चलते पूर्वी और मध्य भारत में बारिश की गतिविधियों में तेजी आने की संभावना है। इसका असर छत्तीसगढ़ के उत्तरी हिस्सों में भी देखने को मिल सकता है।

बीते दिवस को ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत थी...

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 31 अगस्त का दिन विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है,इस दौरान छत्तीसगढ़ में कहीं-कहीं अत्यधिक भारी बारिश की स्थिति बन सकती है। लगातार और तेज बारिश होने की स्थिति में निचले इलाकों में जलभराव,नदी-नालों के जलस्तर में वृद्धि तथा ग्रामीण और संपर्क मार्गों पर आवागमन प्रभावित होने की आशंका बनी रहेगी,खासकर नदी-नालों के आसपास रहने वाले लोगों को मौसम की स्थिति पर नजर रखने की जरूरत होगी,बारिश के दौरान जलस्तर अचानक बढ़ने की स्थिति में छोटी पुल-पुलियों और रपटों से गुजरना जोखिमपूर्ण हो सकता है।

कोरिया और बैकुंठपुर में बड़ी चिंता-उत्तर छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले और बैकुंठपुर क्षेत्र में भी

मौसम को लेकर विशेष सतर्कता जरूरी है,जिले के कई ग्रामीण इलाकों में सड़कें,पुल-पुलियां और कच्चे संपर्क मार्ग बारिश के दौरान प्रभावित होते हैं,ऐसे में भारी बारिश की स्थिति बनने पर ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन की समस्या बढ़ सकती है जिला प्रशासन और स्थानीय निकायों के लिए भी आने वाले दिनों में चुनौती बढ़ सकती है,लगातार बारिश के कारण जलभराव,पेड़ गिरने,बिजली आपूर्ति प्रभावित होने अथवा सड़क मार्ग बाधित होने जैसी परिस्थितियों से निपटने के लिए आवश्यक तैयारियां रखना जरूरी होगा।

नदी-नालों से दूरी बनाए रखने की अपील-

बारिश के दौरान प्रशासन की ओर से लोगों को नदी, नाले और जलभराव वाले क्षेत्रों से दूर रहने की सलाह दी गई है,विशेष रूप से बच्चों और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को ऐसे स्थानों पर जाने से बचना चाहिए जहां पानी का बहाव तेज हो,बारिश के दौरान सामान्य दिखाई देने वाला पुल या पट्टा भी अचानक खतरनाक हो सकता है,पानी का बहाव बढ़ने पर सड़क के ऊपर से पानी गुजरने की स्थिति में वाहन लेकर पार करने का प्रयास दुर्घटना का कारण बन सकता है,इसलिए मौसम खराब होने की स्थिति में जरूरी नहीं होने पर यात्रा टालना और प्रशासन द्वारा जारी स्थानीय चेतावनियों का पालन करना सुरक्षित विकल्प होगा।

कच्चे रास्तों और पुल-पुलियों पर भी नजर-

ग्रामीण क्षेत्रों में भारी बारिश का सबसे तत्काल असर कच्चे रास्तों और छोटे पुल-पुलियों पर दिखाई देता है, मिट्टी धंसने,सड़क कटने या पुलिया के ऊपर पानी आने से कई गांवों का संपर्क अस्थायी रूप से प्रभावित हो सकता है,ऐसी स्थिति में स्थानीय प्रशासन को संवेदनशील मार्गों की निगरानी बढ़ानी होगी,ग्रामीणों से भी अपील की गई है कि किसी मार्ग पर पानी का तेज बहाव दिखाई देने पर जोखिम लेकर उसे पार न करें।



प्रायद्वीपीय भारत में कमजोर रहेगा मानसून...

मौसम विभाग के अनुसार जहां बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव क्षेत्र के कारण पूर्वी और मध्य भारत में बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावना है,वहीं प्रायद्वीपीय भारत में आगामी एक सप्ताह के दौरान मानसूनी गतिविधियां अपेक्षाकृत कमजोर रह सकती हैं,यानी देश के अलग-अलग हिस्सों में मानसून का प्रभाव एक जैसा नहीं रहेगा, छत्तीसगढ़ में अगले कुछ दिनों में बारिश की गतिविधि बढ़ने की संभावना इसी मौसम प्रणाली से जुड़ी हुई है।

प्रशासन के साथ आम लोगों को भी रहना होगा सतर्क

मौसम विभाग की चेतावनी के बीच अब प्रशासन के साथ आम लोगों की जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है, तेज बारिश के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचना,नदी-नालों से दूरी रखना और स्थानीय प्रशासन की चेतावनियों का पालन करना जरूरी होगा,31 अगस्त को अत्यधिक बारिश की संभावना के मद्देनजर कोरिया, बैकुंठपुर और उत्तर छत्तीसगढ़ के अन्य क्षेत्रों में विशेष सतर्कता जरूरी था,मौसम की स्थिति तेजी से बदल सकती है,इसलिए नागरिकों को आधिकारिक मौसम बुलेटिन और स्थानीय प्रशासन की सूचनाओं पर नजर बनाए रखनी चाहिए,फिलहाल बंगाल की खाड़ी का निम्न दबाव क्षेत्र छत्तीसगढ़ के लिए बारिश लेकर आता दिखाई दे रहा है,अब देखा होगा कि 31 अगस्त की बारिश कितनी व्यापक रही और इसका असर उत्तर छत्तीसगढ़ के नदी-नालों,ग्रामीण मार्गों और जनजीवन पर कितना पड़ा है।

सील नजूल अधिकारी
सरजपर

छत्तीसगढ़ के 5 क्रिटिकल मिनरल ब्लॉक्स की हो रही नीलामी, मुख्यमंत्री ने निवेशकों से किया सक्रिय भागीदारी का आह्वान

खनिज उत्पादन तक सीमित नहीं रहेगा छत्तीसगढ़,अन्वेषण से एडवांस मैन्युफैक्चरिंग तक विकसित होगी पूरी वैल्यू चेन : मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय



रायपुर,31 अगस्त 2026। छत्तीसगढ़ में उपलब्ध समृद्ध खनिज संपदा और क्रिटिकल मिनरल्स की व्यापक संभावनाएं प्रदेश को विकास के नए क्षितिज पर ले जाने की क्षमता रखती हैं। हमारा लक्ष्य केवल धरती से खनिज निकालना नहीं, बल्कि अन्वेषण से उत्खनन, प्रसंस्करण से मूल्य संवर्धन और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग से रिसाइक्लिंग तक पूरी मिनरल वैल्यू चेन छत्तीसगढ़ में विकसित करना है। इससे प्रदेश में निवेश बढ़ेगा,नए उद्योग स्थापित होंगे और युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज नवा रायपुर स्थित मेकवर लेक रिजोर्ट में भारत सरकार के खान मंत्रालय द्वारा आयोजित क्रिटिकल एवं स्ट्रेटेजिक मिनरल ब्लॉक्स की नीलामी की आठवीं किस्त के रोड शो को संबोधित करते हुए यह बात कही। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि क्रिटिकल एवं स्ट्रेटेजिक मिनरल्स आने वाले समय में देश की आर्थिक प्रगति, तकनीकी आत्मनिर्भरता और सामरिक सुरक्षा के प्रमुख आधार होंगे। आज के तेजी से बदलते वैश्विक और तकनीकी परिदृश्य में इन खनिजों का महत्व बहुत आगे बढ़ चुका है। रक्षा उद्योग से लेकर

विकसित भारत के लिए क्रिटिकल मिनरल्स में आत्मनिर्भरता आवश्यक

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा...कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत तेजी से दुनिया की प्रमुख आर्थिक और तकनीकी शक्तियों में अपनी जगह बना रहा है। मेक इन इंडिया,आत्मनिर्भर भारत और नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन के माध्यम से देश में क्रिटिकल मिनरल्स के अन्वेषण,प्रसंस्करण और इनसे जुड़े उन्नत उद्योगों के विकास को नई गति मिली है। उन्होंने कहा कि वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में दुनिया के सभी प्रमुख देश अपने रणनीतिक संसाधनों और उनकी स्प्लाइं चेन को सुरक्षित करने में जुटे हैं। ऐसे समय में भारत के लिए क्रिटिकल एवं स्ट्रेटेजिक मिनरल्स की उपलब्धता में आत्मनिर्भर होना आर्थिक आवश्यकता के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है।

पूरी मिनरल वैल्यू चेन छत्तीसगढ़ में विकसित करने पर जोर...

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की सोच खनिज उत्पादन बढ़ाने तक सीमित नहीं है। हमारा प्रयास है कि खनिज आधारित उद्योगों की पूरी वैल्यू चेन प्रदेश में विकसित हो। अन्वेषण और उत्खनन के बाद खनिज बाहर भेजने के बजाय उनका प्रसंस्करण, वैल्यू एडिशन और उनसे संबंधित एडवांस मैन्युफैक्चरिंग प्रदेश में हो, ताकि वास्तविक संसाधनों का अधिकतम आर्थिक लाभ छत्तीसगढ़ और यहां के लोगों को मिले। उन्होंने कहा कि नवा रायपुर में एआई आधारित डेटा सेंटर पार्क और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर तथा राजनांदगांव में इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर विकसित किए जा रहे हैं। ऐसे आधुनिक उद्योगों में क्रिटिकल मिनरल्स की आवश्यकता होगी। खनिज संसाधनों की निकट उपलब्धता प्रदेश को इन उद्योगों के लिए स्वाभाविक प्रतिस्पर्धात्मक बड़ा प्रदान करेगी।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस,क्लीन एनर्जी, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी,डिजिटल टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग तक आधुनिक अर्थव्यवस्था के लगभग हर



नई औद्योगिक नीति और ईज ऑफ़ डूइंग बिजनेस से निवेश को प्रोत्साहन

मुख्यमंत्री साय ने कहा...कि राज्य सरकार नए जमाने के उद्योगों को छत्तीसगढ़ की ओर आकर्षित करने के लिए निवेश अनुकूल वातावरण तैयार कर रही है। नई औद्योगिक नीति में उभरते और भविष्य की अर्थव्यवस्था से जुड़े क्षेत्रों के लिए अनेक प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं। ईज ऑफ़ डूइंग बिजनेस अधिनियम के माध्यम से कम एवं मध्यम जोखिम वाले उद्योगों के लिए आवश्यक औपचारिकताओं को सरल किया गया है। वन क्लिक सिंगल विंडो सिस्टम 2.0 से विभिन्न अनुमतियों और एनओसी की प्रक्रिया भी सुगम हुई है। उन्होंने कहा कि पूंजी निवेश सहायता,स्टॉप शुल्क एवं विद्युत शुल्क में छूट,ब्याज अनुदान और रोजगार आधारित प्रोत्साहन सहित विभिन्न सुविधाएं निवेशकों को उपलब्ध कराई जा रही हैं। राज्य में खनिज संपदा, ऊर्जा,भूमि, कनेक्टिविटी और औद्योगिक अधोसंरचना की उपलब्धता क्रिटिकल मिनरल आधारित उद्योगों के लिए मजबूत इकोसिस्टम तैयार करती है।

खनिज राजस्व में उल्लेखनीय वृद्धि

मुख्यमंत्री ने कहा... कि राज्य निर्माण के समय छत्तीसगढ़ का खनिज राजस्व लगभग 400 करोड़ रुपए था। छई वर्ष पहले यह लगभग 12 हजार करोड़ रुपए था,जो अब बढ़कर 16 हजार करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। उन्होंने कहा...कि खनिज संपदा से प्राप्त राजस्व का उपयोग प्रदेश के विकास और जनकल्याण में किया जा रहा है। जिला खनिज संस्थान न्यास (डीएमएन) के माध्यम से खनन प्रभावित क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल और अन्य बुनियादी सुविधाओं के विस्तार के साथ स्थानीय लोगों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान के लिए विभिन्न कार्य किए जा रहे हैं।

छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम द्वारा इंडियन ओवरसीज बैंक तथा पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के साथ महत्वपूर्ण एमओयू भी किए गए। मुख्यमंत्री साय ने

उद्योग जगत और निवेशकों से छत्तीसगढ़ की विकास यात्रा में भागीदार बनने का आह्वान करते हुए कहा कि आज पूरा देश छत्तीसगढ़ की ओर देख रहा है।



रक्षा से एआई तक-नई अर्थव्यवस्था की आधारशिला है क्रिटिकल मिनरल्स

मुख्यमंत्री साय ने कहा... कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का रक्षा उद्योग तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ा है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय रक्षा क्षमताओं और स्वदेशी तकनीक की प्रभावशीलता को दुनिया ने देखा। आधुनिक रक्षा उपकरणों के निर्माण में अनेक स्ट्रेटेजिक मिनरल्स की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसलिए एक मजबूत और आत्मनिर्भर रक्षा उद्योग के लिए इनकी सुरक्षित और निरंतर आपूर्ति जरूरी है। उन्होंने कहा कि इसी प्रकार एआई,सेमीकंडक्टर,बैटरी,क्लीन एनर्जी,इलेक्ट्रिक मोबिलिटी,डिजिटल प्रौद्योगिकी और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग के लिए लिथियम,ग्रेनाइट,रेयर अर्थ एलिमेंट्स,वैनेडियम,निकेल और कोबाल्ट जैसे खनिज अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। भविष्य की अर्थव्यवस्था में इनकी भूमिका लगातार बढ़ने वाली है।

क्रिटिकल मिनरल्स के क्षेत्र

में छत्तीसगढ़ के पास बड़ी संभावनाएं

मुख्यमंत्री साय ने कहा... कि छत्तीसगढ़ देश के प्रमुख खनिज संपन्न राज्यों में है और अब क्रिटिकल मिनरल्स के क्षेत्र में भी प्रदेश नई पहचान बनाने की ओर अग्रसर है। कठघोरा और बस्तर में लिथियम एवं दुर्लभ मृदा तत्व बलरासपुर में ग्रेनाइट,वैनेडियम एवं गैलियम,बालोद में फास्फोराइट तथा महासमुंद में निकेल,कोबाल्ट और कोबाल्टाइट की संभावनाएं मौजूद हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा...कि क्रिटिकल एवं स्ट्रेटेजिक मिनरल्स की नीलामी की आठवीं किस्त में देश के 7 राज्यों के 20 खनिज ब्लॉक्स शामिल हैं, जिनमें छत्तीसगढ़ के 5 ब्लॉक्स हैं। मुख्यमंत्री ने निवेशकों से इन ब्लॉक्स की नीलामी में सक्रिय भागीदारी का आह्वान करते हुए कहा कि यह केवल खनिज ब्लॉक हासिल करने का अवसर नहीं है। यह अन्वेषण,प्रसंस्करण,मूल्य संवर्धन,नवाचार और नए उद्योगों के माध्यम से छत्तीसगढ़ तथा देश की अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने का अवसर है। ये क्रिटिकल मिनरल ब्लॉक्स विकसित भारत के निर्माण की महत्वपूर्ण पुरी बन सकते हैं।

छत्तीसगढ़ के झीरम घाटी नरसंहार का फैसला टला, अब 5 सितंबर को आएगा निर्णय

जगदलपुर,31 अगस्त 2026। छत्तीसगढ़ के झीरम घाटी नरसंहार मामले में सोमवार को फैसला टल गया है। अब जगदलपुर स्थित एनआईए की विशेष अदालत इस मामले में 5 सितंबर को फैसला सुनाएगी।करीब 13 वर्षों से चल रहे इस बहुचर्चित मामले में अदालत की ओर से फैसला सुनाए जाने की तारीख पहले 31 अगस्त निर्धारित की गई थी। झीरम मामले की जांच घटना के दो दिन बाद एनआईए ने अपने हाथ में ली थी। एनआईए ने सितंबर 2014 में आरोप पत्र दाखिल किया। इसके बाद सितंबर 2015 में पूरक आरोपपत्र भी दाखिल किया गया था। इस मामले में शुरुआत में 11 लोगों को आरोपित बनाया गया था। सुनवाई के दौरान ही एक आरोपित की मौत हो चुकी है,जैसेकि बाद अब शेष 10 आरोपितों पर अदालत अपना फैसला सुनायेगी। मामले की लंबी न्यायिक प्रक्रिया के दौरान 294 सुनवाईयां हुईं। अभियोजन पक्ष में आरोपितों के खिलाफ दोष साबित करने के लिए



जांव में कोई ठोस प्रयास नहीं किया गया : भूपेश कोते

पूर्व मुख्यमंत्री बघेल ने कांग्रेस में इस मामले पर कहा...कि झीरम घाटी हत्याकांड के पीछे के षड्यंत्रकारियों तक पहुंचने के लिए जांच में कोई ठोस प्रयास नहीं किया गया। उन्होंने तर्क दिया कि जब जांच ही सही तरीके से नहीं हुई है,तो अदालत का फैसला भी केवल उपलब्ध जांच और साक्ष्यों के आधार पर ही होगा। बघेल ने यह भी बताया कि मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने केंद्रीय गृहमंत्री के साथ मध्य क्षेत्र की बैठक में झीरम घाटी मामले की जांच राज्य सरकार को सौंपने की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि यदि केंद्र सरकार जांच करने में असमर्थ है,तो यह जिम्मेदारी राज्य सरकार को दी जानी चाहिए,लेकिन ऐसा नहीं हुआ।

अदालत में 101 गवाहों के बयान और महत्वपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्य पेश किए हैं। अगस्त 2026 में

लिया था और 31 अगस्त की तारीख तय की थी। अब फैसला टलने के बाद पीड़ित परिवारों, राजनीतिक दलों और बस्तरवासियों की निगाहें 5 सितंबर पर टिक गई हैं। मामले में जिन आरोपितों के खिलाफ सुनवाई हुई है, उनमें से 10 आरोपित वर्तमान में जगदलपुर केंद्रीय जेल में बंद बताए जा रहे हैं। अब अदालत यह तय करेगी कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोप साबित होते हैं या नहीं। झीरम कांड को लेकर वर्षों से यह सवाल भी उठता रहा है कि क्या यह केवल माओवादियों द्वारा किया गया हमला था या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश थी। राजनीतिक स्तर पर इस मामले को लेकर कांग्रेस और भाजपा के बीच भी आरोप-प्रत्यारोप होते रहे हैं। हालांकि,अदालत के समक्ष विचारार्थी आरोपों और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर ही दोष या निर्दोषता तय होगी। झीरम हमले के बाद नक्सल हिंसा और राजनीतिक नेतृत्व की सुरक्षा को लेकर देशभर में गंभीर सवाल उठे थे।

बिलासपुर में कोरबा के ट्रांसपोर्टर ने लगाई फांसी

बिलासपुर,31 अगस्त 2026। बिलासपुर में कोरबा के ट्रांसपोर्टर ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उसकी लाश पुरानी बस स्टैंड स्थित शारदा लॉज के कमरे में फंदे पर लटकती मिली। मृतक की पहचान कोरबा के दीपका निवासी प्रतीक जायसवाल (25) के रूप में हुई है। पुलिस को मौके से एक सुसाइड नोट मिला है, जिसमें उसने लिखा है कि वह पिछले 7-8 महीने से डिप्रेशन में था और काफी तनाव में था। साथ ही मम्मी-पापा से माफी मांगी है। घटना सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र की है। जानकारी के मुताबिक दीपका निवासी प्रतीक की दादी बिलासपुर के अपोलो अस्पताल में भर्ती हैं। उनकी देखरेख के लिए वह कोरबा से बिलासपुर आया था। रविवार को उसका छोटा भाई भी बिलासपुर पहुंचा। तीन-चार दिन से अस्पताल में होने के कारण उसने भाई प्रदीप पर प्रदेश के विभिन्न मोर्चों के नए प्रभारियों की घोषणा कर दी है। प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव की सहमति के बाद 7 मोर्चों के लिए नए प्रभारियों की नियुक्ति की गई है। जारी सूची में युवा मोर्चे से

तोखन साहू बन सकते हैं छत्तीसगढ़ बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष.....दिल्ली बुलाए गए शिवरतन-बृजमोहन की भी चर्चा,7 मोर्चा प्रभारियों की नियुक्ति



लेकर महिला,किसान,पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और अल्पसंख्यक मोर्चे तक जिम्मेदारियां तय की गई हैं। तोखन साहू पिछले करीब एक सप्ताह से मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के साथ संगठन और सरकार से जुड़ी महत्वपूर्ण बैठकों में लगातार नजर आ रहे हैं। उनकी बढ़ती सक्रियता को प्रदेश संकट में नई जिम्मेदारी मिलने की संभावनाओं से जोड़कर देखा जा रहा है। पार्टी के भीतर इसे लेकर कई तरह के कायास लगाए जा रहे हैं। तोखन साहू वर्तमान में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री

हैं और बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। भाजपा बस्तर और सरगुजा में मजबूत मानी जाती है, जबकि बिलासपुर संभाग में संगठन को और मजबूत करने की गुंजाइश है। तोखन साहू के अध्यक्ष बनने से पार्टी को इस क्षेत्र में अपना जनाधार बढ़ाने का लाभ मिल सकता है। पार्टी की ओर से औपचारिक घोषणा होने के बाद ही तस्वीर साफ होगी। छत्तीसगढ़ भाजपा की ओर से जारी सूची के मुताबिक युवा मोर्चे की जिम्मेदारी वैभव बैराज को सौंपी गई है। वहीं महिला मोर्चे का प्रभारी सुभाष तिवारी को बनाया गया है। किसान मोर्चे की जिम्मेदारी पूरुष चंद्राकर को दी गई है। इसके अलावा पिछड़ा वर्ग मोर्चे का प्रभारी लखनलाल साहू, अनुसूचित जनजाति मोर्चे का प्रभारी शिरिष अग्रवाल और अनुसूचित जाति मोर्चे की जिम्मेदारी डॉ. गुलाब टिकरिहा को सौंपी गई है। वहीं अल्पसंख्यक मोर्चे का प्रभारी मनोज जैन को नियुक्त किया गया है।

राहुल गांधी के समर्थन में सड़क पर उतरी कांग्रेस एफआईआर को बताया राजनीतिक प्रतिशोध



रायपुर,31 अगस्त 2026। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ उत्तराखंड में दर्ज एफआईआर के विरोध में रायपुर में कांग्रेस ने पैदल मार्च निकाला। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर रायपुर ग्रामीण और शहर जिला कांग्रेस कमेटी के संयुक्त तत्वावधान में यह प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अंबेडकर चौक से सिविल लाइन थाना तक पैदल मार्च किया। मार्च का नेतृत्व रायपुर ग्रामीण जिला कांग्रेस अध्यक्ष राजेंद्र पणू बंजारे और रायपुर शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष कुमार शंकर मेनन ने किया। कांग्रेस ने उत्तराखंड के हल्द्वानी में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ भाजपा-आरएसएस कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए कथित जातिवादी शुद्धिकरण अनुष्ठान का भी विरोध किया। कांग्रेस नेताओं ने इस

मामले में शामिल भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। पैदल मार्च के बाद कांग्रेस नेताओं ने सिविल लाइन थाने पहुंचकर थाना प्रभारी को जापन सौंपा। जिला कांग्रेस कमेटी के शुद्ध गांधी के खिलाफ दर्ज एफआईआर को दुर्भावनापूर्ण और राजनीतिक प्रतिशोध की कार्रवाई बताते हुए इसे वापस लेने की मांग की। रायपुर ग्रामीण जिला कांग्रेस अध्यक्ष राजेंद्र पणू बंजारे और पूर्व विधायक विकास अपाध्याय ने संयुक्त रूप से कहा कि जातिगत भेदभाव का विरोध करना अपराध नहीं है। राहुल गांधी को सामाजिक न्याय,संविधान और समानता के पक्ष में आवाज उठाई है। दोषियों पर कार्रवाई करने के बजाय राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।

बिलासपुर हिंसा...सीसीटीवी से उपद्रवियों की पहचान,11 अरेस्ट 2 पक्षों में विवाद के बाद पथराव-तोड़फोड़,टीआई का सिर फटा था,8 पुलिसकर्मी घायल

बिलासपुर,31 अगस्त 2026। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में शुक्रवार की रात 2 पक्षों में हुआ विवाद सामुदायिक हिंसा में बदल गया। पथराव और तोड़फोड़ शुरू हो गई। कई गाड़ियों,घरों और दुकानों को नुकसान पहुंचा। भीड़ को काबू करने पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस छोड़ी। पथराव में तारबाहर टीआई रवि तिवारी का सिर फट गया। एक आश्रक समेत कई लोग घायल हुए। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई ठीक कर दी है। अब तक 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इनमें एक पक्ष के 8 और दूसरे पक्ष के 3 आरोपी शामिल हैं। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज और दूसरे डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर हिंसा में शामिल अन्य लोगों की पहचान कर रही है।

कथित हिंदू विरोधी टिप्पणी को लेकर शुरू हुआ विवाद

पुलिस के मुताबिक खपरगंज के पास स्थित बिरयानी सेंटर के पास युवकों के बीच छींटकशी और कथित हिंदू विरोधी धार्मिक टिप्पणी को लेकर विवाद शुरू हुआ था। बहस बढ़ी तो दोनों पक्षों के बीच मारपीट हो गई। पुलिस के पहुंचने से पहले एक बुजुर्ग के घायल होने की जानकारी सामने आई। इसके बाद दोनों पक्षों के लोग मौके पर पहुंचने लगे और विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। खपरगंज से शुरू हुआ पथराव और तोड़फोड़ आसपास के इलाकों तक पहुंच गया। भीड़



हिंसा के बाद शहर में बढ़ाई गई सुरक्षा

इस घटना के बाद संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया। पुलिस की पेट्रोलिंग बढ़ाई गई और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी गई। अधिकारियों ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने और सोशल मीडिया पर बिना पुष्टि के कोई पोस्ट या वीडियो शेयर नहीं करने की अपील की।

11 गिरफ्तार,दोनों पक्षों पर कार्रवाई

SSP रजनेश सिंह के मुताबिक ठाकुर रामसिंह और सोहेल खान समेत अन्य संदिग्धों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि किसी व्यक्ति के खिलाफ केवल नाम सामने आने के आधार पर कार्रवाई नहीं होगी। सीसीटीवी फुटेज, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान और पूछताछ से मिले तथ्यों का सत्यापन किया जा रहा है।

को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने मोर्चा संभाला और स्थिति को काबू में किया।